दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

अप्रैल भाग-2
2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

- भारत-अमेरिका संबंध 3
- यूक्रेन संकट पर भारत का रुख 4
- ऊर्जा संक्रमण और राजकोषीय प्रभाव 7
- भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध 11
- भारत में सरकारी स्कूल 13
- कुशल भारत का निर्माण 15
- भारत में कृषि-वानिकी 18
- भारत में CBDC 20
- भारत की प्रति-व्यापार व्यवस्था 22
- 'नेबरहुड फर्स्ट' एवं भारत 24
- मिशन अंत्योदय: सामाजिक न्याय हेतु महत्त्वपूर्ण 27
- सुरक्षित कार्यस्थल 29
- दृष्टि मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 32

दृष्टि The Vision

नोट :

भारत-अमेरिका संबंध

संदर्भ

हाल के समय में नई दिल्ली की ओर दौड़ लगाते दुनिया भर के राजनयिकों, अधिकारियों और मंत्रियों की लंबी सूची को देखें तो एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की भूमिका का अनुमान लगाना पर्याप्त आसान हो जाता है।

अमेरिका के संदर्भ में देखें तो भारत बाइडेन प्रशासन की 'इंडो-पैसिफिक' रणनीति का केंद्रबिंदु है और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ '2+2' बैठक में भाग लिया है।

यद्यपि दोनों देश रूस-यूक्रेन संघर्ष—जो अभी वैश्विक भू-राजनीति के सबसे चिंताजनक मुद्दों में से एक है, पर एकसमान दृष्टिकोण नहीं रखते, किंतु मतभेदों से ऊपर उठना और निरंतर सहयोग सुनिश्चित करना दोनों देशों के पारस्परिक हित में है।

हाल के समय में भारत-अमेरिका संबंध

- वर्तमान में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी कोविड-19 से मुकाबला, महामारी के बाद आर्थिक पुनरुद्धार, जलवायु संकट व सतत् विकास, महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ, आपूर्ति शृंखला लचीलापन, शिक्षा, प्रवासी समुदाय और रक्षा एवं सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों को अपने दायरे में लेती है।
- भारत-अमेरिका संबंधों का विस्तार और गहनता अपूर्व है और इस साझेदारी के प्रेरक तत्व अभूतपूर्व वृद्धि कर रहे हैं।
  - यह संबंध अभी तक अद्वितीय बना रहा है क्योंकि यह दोनों स्तरों पर संचालित होता है: रणनीतिक अभिजात वर्ग के स्तर पर भी और लोगों के आपसी संपर्क के स्तर पर भी।
- यद्यपि रूस-यूक्रेन संकट के प्रति भारत और अमेरिका की प्रतिक्रियाएँ पर्याप्त विरोधाभासी रहीं, हाल की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह मत व्यक्त किया कि दुनिया के दो प्रमुख लोकतंत्र पारस्परिक रूप से स्वीकार्य परिणामों पर पहुँचने के लिये अपने मतभेदों को दूर करने के इच्छुक हैं।
  - भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में संबंधों में आई गर्माहट पर आगे बढ़ते रहने और व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण को न खोने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

हाल ही में संपन्न 2+2 वार्ता के निष्कर्ष

- इस वार्ता में 'स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किये गए क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में सहयोग को गहरा करना चाहते हैं ताकि इन दोनों ही 'वॉर-फाइटिंग डोमेन' में क्षमताओं को विकसित किया जा सके।
  - वे संयुक्त साइबर प्रशिक्षण एवं अभ्यास का विस्तार करते हुए एक आरंभिक 'रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वार्ता' (Defence Artificial Intelligence Dialogue) आयोजित करने पर भी सहमत हुए।
- भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी भी तेज़ी से बढ़ रही है जहाँ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया है कि दोनों देशों ने ''हिंद-प्रशांत के वृहत भूभाग में हमारी सेनाओं की परिचालन पहुँच का विस्तार करने और अधिक निकटता से समन्वय करने के लिये नए अवसरों की पहचान की है।''
- अमेरिका ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख भी किया कि चीन भारत के साथ सीमा पर 'दोहरा उपयोग अवसंरचना' (dual-use infrastructure) का निर्माण कर रहा है और यह भारत के संप्रभु हितों की रक्षा के लिये उसके साथ खड़ा रहेगा।

अमेरिका भारत से दूर क्यों हो सकता है?

- मज़बूत भारत-रूस संबंध: भारत-अमेरिका संबंध में रूस कोई नया कारक नहीं है। प्रतिबंधों के बीच भी भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात में कमी लाने के बजाय वृद्धि ही की है। रूस द्वारा भारत के लिये कम मूल्यों पर इसकी पेशकश की गई थी।
  - भारत-रूस रक्षा संबंध भी भारत-अमेरिका संबंधों में एक अवरोध बना रहा है।
    - भारत द्वारा रूस से 'S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली' की खरीद पर अमेरिकी CAATSA कानून के अनुपालन को लेकर भी लंबे समय से चर्चा जारी है।
    - हालाँकि अमेरिका स्पष्ट रूप से यह भी समझता है कि भारत पर प्रतिबंध लगाने जैसा कोई भी कदम उनके संबंधों को फिर दशकों पीछे घसीट ले जाएगा।

नोट :

- अमेरिका की स्पष्ट चेतावनी (कि जो देश रूस पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने या किसी प्रकार उसकी पूर्ति करने का सक्रिय प्रयास करेंगे, परिणाम भुगतेंगे) के बावजूद भारत और रूस डॉलर-आधारित वित्तीय प्रणाली को दरकिनार कर द्विपक्षीय व्यापार कर सकने के तरीके तलाश रहे हैं।

- चीन के साथ सहयोग की भारत की संभावनाएँ: हाल के वर्षों में चीन ने अपनी अमेरिकी नीति के चश्मे से भूभाग में भारत के किसी भी कदम की समीक्षा की है, लेकिन यूक्रेन पर भारत के रुख के बाद बीजिंग में एक पुनर्विचार की शुरुआत हुई है।
  - हाल में चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा एक वृहत रणनीतिक 'रीसेट' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जो भारत को 'क्वाड' से दूर करने की आवश्यकता से प्रेरित था।
    - अपनी यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने दक्षिण एशिया में भारत की पारंपरिक भूमिका की रक्षा के साथ ही 'चीन-भारत प्लस' (China-India Plus) के रूप में विकास परियोजनाओं पर सहयोग करने का दृष्टिकोण प्रकट किया और इसके लिये एक वर्चुअल G-2 के निर्माण की पेशकश की।
  - जबकि म्याँमार, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भारतीय और अमेरिकी नीतियाँ भिन्न हैं, चीन ऐसा विषय है जो दोनों देशों को एक साथ जोड़ता है।
    - यदि अभी चीन के साथ भारत के संबंधों के पुनर्निर्माण का अवसर बनता है तो यह अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को बदल देगा और 'क्वाड' की प्रभावशीलता पर सवाल उठाएगा।

आगे की राह

- भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग: राजनीतिक मामलों की अमेरिकी विदेश मंत्री विक्टोरिया नूलैंड ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान स्वीकार किया कि ''रक्षा आपूर्ति के लिये रूस पर भारत की निर्भरता महत्त्वपूर्ण है'' और यह ''उस युग में सोवियत संघ और रूस से सुरक्षा समर्थन की विरासत है जब अमेरिका भारत के प्रति कम उदार रहा था।"
  - हालाँकि, आज की नई वास्तविकताओं के साथ इस द्विपक्षीय संलग्नता के प्रक्षेपवक्र के आकार लेने के साथ यह उपयुक्त समय होगा जब अमेरिका भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ-साथ सह-उत्पादन और सह-विकास के माध्यम से अपना रक्षा विनिर्माण आधार बनाने में मदद करे।
- अवसरों की खोज: भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में—जो एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। यह अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग अपने महत्त्वपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिये कर सकता है।
- भारत और अमेरिका आज इस संदर्भ में सही अर्थों में रणनीतिक साझेदार हैं कि यह परिपक्व प्रमुख शक्तियों के बीच ऐसी साझेदारी है जो पूर्ण अभिसरण की तलाश नहीं कर रही है, बल्कि निरंतर संवाद सुनिश्चित कर और असहमतियों को नए अवसरों को गढ़ने में निवेश कर मतभेदों का प्रबंधन कर रही है।
- सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग: यूक्रेन संकट के परिणामस्वरूप चीन के साथ रूस का बढ़ा हुआ सरेखण चीन से मुकाबले के लिये केवल रूस पर भरोसा कर सकने की भारत की क्षमता को जटिल बनाता है। इसलिये अन्य सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग जारी रखना दोनों देशों के हित में है।
  - चीनी सेना की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को लेकर व्याप्त चिंताएँ अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधों में अंतरिक्ष शासन को भी एक प्रमुख विषय बनाती है।

यूक्रेन संकट पर भारत का रुख

अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संकटों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में स्वतंत्रता के समय से ही कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। भारत का रुख हमेशा से सोवियत संघ समर्थक और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस समर्थक रहा है।

अतीत में अंतर्राष्ट्रीय संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया

- वर्ष 1956 में हंगरी की क्रांति के समय वहाँ तैनात सोवियत सैन्य बलों ने हस्तक्षेप जारी रखा लेकिन भारत ने इसकी निंदा नहीं की।
- हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप के एक वर्ष बाद वर्ष 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत द्वारा निंदा नहीं किये जाने का बचाव करते हुए संसद में कहा कि "दुनिया में साल-दर-साल और दिन-ब-दिन बहुत-सी चीज़ें घटित होती रही हैं, जिन्हें हमने बेहद नापसंद किया है। हमने उनकी निंदा इसलिये नहीं की क्योंकि जब कोई किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा होता है तब उसे भला-बुरा कहने और निंदा करने से कोई मदद नहीं मिलती।"

नोट :

- जवाहरलाल नेहरू का यह स्वयंसिद्ध भविष्य के संघर्षों (विशेष रूप से जहाँ उसके सहयोगी देश संलग्न थे) के प्रति भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शक बना रहा। चाहे वह सोवियत संघ का हंगरी (1956), चेकोस्लोवाकिया (1968) या अफगानिस्तान (1979) में हस्तक्षेप हो या इराक पर अमेरिकी आक्रमण (2003), भारत ने कमोबेश इसी दृष्टिकोण का अनुसरण किया।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर भारत की प्रतिक्रिया—जहाँ उसने किसी पक्ष को बिना भला-बुरा कहे नागरिकों की हत्या की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र मतदान से अनुपस्थित रहा, इसी ऐतिहासिक रूप से सतर्क तटस्थता की नीति से मौलिक रूप से अलग नहीं रही है।
  - भारत अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के उस प्रस्ताव से भी दूर रहा जिसमें यूक्रेन के विरुद्ध रूस की आक्रामकता की कड़ी निंदा की गई थी।
  - भारत यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प से भी अलग रहा।
  - भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रस्ताव से भी अलग रहा जो यूक्रेन में चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और चेर्नोबिल सहित विभिन्न परमाणु अपशिष्ट स्थलों की सुरक्षा से संबंधित था।
- यूक्रेन संकट पर भारत का रूख विश्व में कोई एकाकी रुख नहीं है।
  - एक अन्य प्रमुख लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका भी रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र मतदान से अलग रहा।
  - संयुक्त अरब अमीरात (जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का निकट सहयोगी है और हज़ारों अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करता है) भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले पर आहूत मतदान से अलग रहा।
  - पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे घनिष्ठ सहयोगी इज़राइल ने रूसी हमले की निंदा तो की, लेकिन प्रतिबंध व्यवस्था में शामिल होने से इनकार कर दिया और यूक्रेन को अपनी रक्षा प्रणाली भेजने से भी मना कर दिया।
  - उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य तुर्की ने भी ऐसा ही किया और यूक्रेन एवं रूस के बीच मध्यस्थता के लिये आगे बढ़ा।
  - लेकिन इनमें से कोई भी देश पश्चिम के उस तरह के दबाव और सार्वजनिक आलोचना के दायरे में नहीं आया जैसा भारत के साथ हुआ।
  - अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की स्थिति को 'कुछ हद तक अस्थिर' बताया। बाइडेन प्रशासन में 'अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' ने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस के साथ व्यापार करने की स्थिति में भारत को 'परिणाम' भुगतने की चेतावनी दी।

पश्चिमी देशों द्वारा भारत को चुनिंदा रूप से लक्षित क्यों किया जा रहा है?

- इसके तीन व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारण हो सकते हैं।
- राजनीतिक दृष्टिकोण से, पश्चिम ने सावधानीपूर्वक इस आख्यान के निर्माण की कोशिश की है कि यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हमला 'फ्री वर्ल्ड' पर हमला है।
  - यदि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत रूसियों को दंडित करने के पश्चिमी नेतृत्व वाले इस दाँव से बाहर रहता है तो उनका यह आख्यान कमज़ोर नज़र आएगा।
- आर्थिक दृष्टिकोण से, रूस पर प्रतिबंध मुख्यत: पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए हैं। केवल तीन एशियाई देशों—जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने ही इसका समर्थन किया है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन नहीं किया है।
  - यदि भारत भी भुगतान प्रतिबंधों के संबंध में कोई रास्ता निकालकर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखता है तो यह निश्चित रूप से रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों के प्रभाव को मंद कर देगा।
- रणनीतिक रूप से, यह शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे महत्त्वपूर्ण वैश्विक संकट है। भारत ने पिछले 30 वर्षों में अमेरिका के साथ और सामान्य रूप से पश्चिम के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की है, जबकि रूस के साथ भी उसका मधुर संबंध बना रहा है।
  - इस संतुलन को हाल के अतीत में किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले और रूस एवं पश्चिम के बीच संबंधों के लगभग पूरी तरह विखंडन बाद अब भारत जैसे देशों को कोई एक पक्ष चुनने की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

नोट :

- अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में रूपांतरण के साथ (जहाँ अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिये एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में भी देखता है) उम्मीद थी कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता छोड़ देगा और पश्चिम के साथ सरेखित रुख अपनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

यूक्रेन की त्रासदी के लिये पश्चिम कैसे ज़िम्मेदार है?

- यूक्रेन संकट में पश्चिम एक निर्दोष दर्शक भर नहीं है। वर्ष 2008 में यूक्रेन को नाटो सदस्यता का वादा किया गया था जो उसे नहीं मिली। लेकिन यह वादा भर रूस के सुरक्षा समीकरण को आशंकित कर देने के लिये पर्याप्त था और वह आक्रामक रूप से आगे बढ़ा। उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और डोनबास में उग्रवाद को समर्थन देने लगा।
- अमेरिका ने यूक्रेन को धन और सीमित मात्रा में हथियार देना तो जारी रखा लेकिन रूस के विरुद्ध यूक्रेन के प्रतिरोध को सशक्त कर सकने के लिये कोई सार्थक कदम नहीं उठाया।
- इस प्रकार, पश्चिम न केवल रूस को रोकने में विफल रहा बल्कि युद्ध के प्रति उसकी सीमित प्रतिक्रियाएँ रूस को चीन से बेहतर संबंध बनाने की ओर प्रेरित कर रही हैं।
- भारत के पास दो ही विकल्प थे। वह रूस विरोधी पश्चिमी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए चीन से रूस की निकटता की गति को और प्रश्रय देता अथवा मास्को के साथ संलग्नता की अपनी शर्तों को बनाए रखते हुए रूस को अपने एशियाई संबंधों में विविधता लाने का अवसर देता। निश्चय ही फिर भारत ने दूसरा विकल्प चुनना उपयुक्त समझा।

आगे की राह

- हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता: चीनी विस्तारवाद, सीमाओं पर दुस्साहसिक चुनौती और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य बल की अचानक वापसी के परिदृश्य में भारत को एशिया में चीन के रणनीतिक एवं भू-आर्थिक खतरे से निपटने के लिये अमेरिका और रूस दोनों की आवश्यकता है।
  - हालाँकि, यह समझना भी महत्त्वपूर्ण है कि जब दो प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो उन्हें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी होती है। इसलिये आत्मनिर्भरता बेहद महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत जब हथियारों के मामले में वास्तविक 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करेगा, तभी वह दुनिया का बेहतर तरीके से सामना करने में सक्षम होगा।
- संतुलित दृष्टिकोण: यदि एशिया में स्थल क्षेत्र पर भारत-रूस साझेदारी महत्त्वपूर्ण है तो हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी समुद्री विस्तारवाद का मुक़ाबला करने के लिये 'क्वाड' अनिवार्य है।
  - चीन का मुकाबला कर सकने की अनिवार्यता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला बनी हुई है और यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पर दिल्ली के रुख से लेकर हर बात तक भारत की स्थिति इसी अनिवार्यता से प्रेरित है।
- भारत में पश्चिम के हितों को समझना: भारत के विदेश नीति के भीतर इस बात पर बहस चल रही है कि भारत अपनी तटस्थता से किस लाभ-हानि की स्थिति में रहेगा और पश्चिम का साथ देने पर क्या परिणाम सामने आ सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, यह सोच भी मौजूद है कि पश्चिम इस समय भारत से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि उसे भारत के बाज़ारों की और एक लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति की ज़रूरत है क्योंकि वह चीन को नियंत्रित करने के लिये भागीदारों की तलाश कर रहा है।

निष्कर्ष

- भारत किसी प्रमुख शक्ति का 'क्लाइंट स्टेट' नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि क्लाइंट स्टेट भी पश्चिम की प्रतिबंध व्यवस्था में शामिल नहीं हुए। भारत किसी गठबंधन प्रणाली का सदस्य भी नहीं है; क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका) कोई गठबंधन नहीं है।
- किसी भी अन्य देश की तरह भारत भी व्यावहारिक यथार्थवाद और अपने मूल राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपनी नीतियाँ अपनाने का अधिकार रखता है। भारत का रुख यह है कि रणनीतिक स्वायत्तता में अवलंबित एक तटस्थ स्थिति जो दोनों पक्षों के साथ चैनलों को खुला रखती है, उसके हितों की पूर्ति के लिये अनुकूल है।

नोट :

- इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत युद्ध का समर्थन करता है। इसने ऐसा किया भी नहीं है। भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार अमेरिका इन सूक्ष्म भेदों को नहीं समझता या समझने की इच्छा नहीं रखता।

ऊर्जा संक्रमण और राजकोषीय प्रभाव

संदर्भ:

ऊर्जा संक्रमण (Energy transitions) दुनिया भर में गति पकड़ रहा है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। उसने नवीकरणीय ऊर्जा के लिये विश्व के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है।

हालाँकि हम यदि इसके वित्तीय प्रभावों पर विचार करें तब यह संक्रमण एक जटिल कार्य होगा। इसके साथ ही, भारत जैसे बड़ी आबादी और विविधता वाले देश में यह सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा कि भारत के ऊर्जा संक्रमण से उत्पन्न अवसर पूरे समाज में न्यायसंगत रूप से साझा हो रहे हैं।

रोज़गार, विकास और संवहनीयता के तिहरे लाभ की प्राप्ति के लिये भारत को अपने ऊर्जा संक्रमण के केंद्र में लोगों को और एक सुचारू वित्तीय संक्रमण को रखने का प्रयास करना चाहिये।

जीवाश्म ईंधन पर भारत की वित्तीय निर्भरता

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के साथ कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस से सरकारों (केंद्र और राज्य दोनों) को प्राप्त होने वाला राजस्व अगले दो दशक प्रभावित रहेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार विकास, मूल्यों और करों पर बेहद मानक आकलनों के तहत वर्ष 2040 तक जीवाश्म ईंधन से राजस्व में निरंतर वृद्धि होगी।
  - हालाँकि सकल घरेलू उत्पाद और समग्र सरकारी बजट के हिस्से के रूप में राजस्व में उल्लेखनीय गिरावट आएगी, जो स्वाभाविक रूप से अगले दो दशकों में केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों के लिये वित्तीय चुनौतियाँ उत्पन्न करेगी।
- वर्ष 2019 तक केंद्र के राजस्व में पाँचवें भाग से अधिक का योगदान जीवाश्म ईंधन से प्राप्त हो रहा था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा भुगतान किये गए कर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) और गैर-कर राजस्व (रॉयल्टी, लाभांश आदि सहित) शामिल थे।
  - राज्य सरकारों के लिये जीवाश्म ईंधन से प्राप्त राजस्व कुल राजस्व का लगभग 8% थे।
  - केंद्र और राज्यों दोनों के लिये संयुक्त राजस्व एकत्रित कुल राजस्व का 13% था, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% है।
    - यह हिस्सा भारत के रक्षा व्यय से बहुत अधिक है और केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिये शिक्षा, संस्कृति और खेल के संयुक्त व्यय के बराबर है।

ऊर्जा संक्रमण का वित्तीय प्रभाव

- वैश्विक स्तर पर: ये प्रभाव हर जगह एकसमान रूप से महसूस नहीं किये जाएँगे। चीन वर्ष 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में कुल 75 ट्रिलियन डॉलर की कुल आर्थिक क्षति के लगभग 27% का अनुभव करेगा, जबकि अमेरिका लगभग 12%, यूरोप 11% और भारत लगभग 7% का अनुभव करेगा।
  - इराक जैसी अर्थव्यवस्थाएँ जिनके पास गैर-जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में निवेश करने के लिये वित्तीय भंडार उपलब्ध नहीं है, उन्हें आर्थिक उत्पादन में सर्वाधिक नुकसान हो सकता है।
  - गहन पूंजी बाज़ारों वाली समृद्ध अर्थव्यवस्थाएँ, जिन्होंने पहले से ही ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों में बड़ा निवेश करने वाले फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश बेहतर स्थिति में होंगे।
- राष्ट्रीय स्तर पर: कोविड-19 के दौरान राजस्व के लिये जीवाश्म ईंधन (मुख्य रूप से पेट्रोलियम) पर सरकारों की निर्भरता में वृद्धि हुई।
  - अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद भारत में पेट्रोल/डीजल पर करों में वृद्धि की गई जिससे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तेल मूल्यों के बीच असंलग्नता की स्थिति बनी।

नोट :

- नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 में पेट्रोलियम से प्राप्त राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% था जो वर्ष 2020-21 में उच्च उत्पाद शुल्क और वैट के कारण बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% हो गया।
- भारत द्वारा अपनी शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताओं का पालन शुरू करने के साथ पहला कदम जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना होगा। नतीजतन, राजस्व का यह प्रमुख स्रोत सीमित हो जाएगा।

संबंधित चिंताएँ

- राजस्व में गिरावट: समय के साथ जीवाश्म ईंधन से राजस्व में लगातार गिरावट आएगी क्योंकि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण कर रहा है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आती जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों (Evs) का उपयोग बढ़ता जाएगा।
  - यदि मौजूदा आर्थिक रुझान जारी रहता है तो राजस्व वर्ष 2019 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% से गिरकर वर्ष 2030 और 2040 में क्रमश: 1.8% और 1% होने का अनुमान है।
- सब्सिडी - एक आवश्यक बुराई: इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क की रियायत, इलेक्ट्रिक कारों पर रियायती GST, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत दी गई रियायतें (जैसे लघु पवन ऊर्जा और हाइब्रिड सिस्टम प्रोग्राम) आदि के रूप में ऊर्जा संक्रमण के एक बड़े हिस्से को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी के माध्यम से समर्थन देने की आवश्यकता हो सकती है।
  - ये सब्सिडी केंद्र और राज्यों के वित्तीय तनाव को बढ़ाएँगी। लेकिन इन सब्सिडी के बिना ऊर्जा संक्रमण स्वयं धीमा हो सकता है।
- राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: घटते राजस्व के राजनीतिक-आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं। वर्ष 2022 राज्य सरकारों को प्रदत्त जीएसटी मुआवजे का अंतिम वर्ष है जो कुछ राज्यों के राजस्व पर दबाव डाल सकता है।
  - इसके अलावा, जीएसटी ढाँचे के तहत राज्यों के पास कर बढ़ाने की सीमित स्वायत्तता समस्या को बढ़ा सकती है।
    - केंद्र ने पिछले कुछ वर्षों से उपकर के माध्यम से अधिक राजस्व एकत्र करना शुरू कर दिया है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है और इससे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव का जोखिम उत्पन्न होता है।
- निवेश की चुनौतियाँ: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाओं पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 21वीं रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत की दीर्घकालिक RE प्रतिबद्धताओं के लिये प्रति वर्ष 1.5-2 ट्रिलियन रुपए की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक निवेश लगभग 75,000 करोड़ रुपए का रहा है ।
- हरित क्षेत्र में लैंगिक असमानता: ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) और IEA द्वारा वर्ष 2019 में किये गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 32% है, लेकिन भारत में रूफटॉप सोलर कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी मात्र 11% है।

भारत वित्तीय संक्रमण से कैसे निपट सकता है?

- अतिरिक्त कर: जब सरकार राजस्व तनाव का अनुभव करती है तो वह ऊर्जा को राजस्व का सबसे आसान स्रोत मानती है। कोयले पर अतिरिक्त कर या 'कार्बन टैक्स' लगाया जा सकता है।
  - सदी के मध्य तक धीरे-धीरे मौजूदा कोयला उपकर (या जीएसटी मुआवजा उपकर) के बराबर एक छोटी राशि से लेकर 2,500 रुपए प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुँचा जा सकता है।
  - अल्पावधि में, भारत जीवाश्म ईंधन से प्राप्त राजस्व में कमी की भरपाई के लिये अन्य स्रोतों से राजस्व में वृद्धि कर सकता है (जैसे शराब, तंबाकू आदि डी-मेरिट वस्तुओं पर कर बढ़ाने के रूप में)।
- सुदृढ़ नीतियाँ: जिस तरह हमें सुदृढ़ जलवायु नीतियों की आवश्यकता है, उसी तरह हमें यह सुनिश्चित करने के लिये सुदृढ़ सामाजिक नीतियों और स्थानीय संस्थानों की भी आवश्यकता है कि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण निष्पक्ष और न्यायसंगत हो।
  - भारत को इस तथ्य के लिये तैयार रहना चाहिये कि ज़रूरी नहीं कि रोज़गार का सृजन उसी जगह हो जहाँ से रोज़गार का ह्रास हुआ है; और अधिकांश नई नौकरियों का गैर-संगठित होना भी संभावित है, जहाँ प्राय: सुरक्षा जाल की कमी होती है। देश को अपनी नीतियाँ इसी अनुरूप तैयार करनी होंगी।
  - कार्बन कर राजस्व को उन गरीब परिवारों को वापस पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता पड़ सकती है जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा पर खर्च करते हैं।

नोट :

- एक अवसर के रूप में निवेश चुनौती: बजट 2022 ने घोषणा की कि सरकार हरित अवसंरचना के लिये संसाधन जुटाने हेतु 'सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड' जारी करने का प्रस्ताव करती है।
  - इन बॉण्डों को रुपया-मूल्यवर्ग के अंत-उपयोग के साथ रुपए के राजस्व से सेवित होने की उम्मीद है। यह घरेलू स्तर पर और साथ ही विदेशों में 'मसाला' बॉण्ड जारी करने के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करता है।
  - कई भारतीय कॉरपोरेट्स ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिये इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (India INX) का दोहन किया है। हरित वित्त के लिये भारत की अत्यधिक आवश्यकताओं को एक घरेलू लेकिन विश्व-उन्मुख पूंजी बाज़ार के विकास के लिये एक लाभ में बदला जा सकता है।
    - यह भारत को एशिया और अफ्रीका में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित कर सकता है जो अपने स्वयं के ऊर्जा संक्रमण के लिये अंतर्राष्ट्रीय पूंजी जुटाने की इच्छा रखते हैं।
- लैंगिक रूप से संतुलित संक्रमण: जबकि भारत के ऊर्जा संक्रमण से कई नए रोज़गार सृजित होंगे, बढ़ते हरित कार्यबल में महिलाओं की सीमित भागीदारी की समस्या को संबोधित किया जाना चाहिये।
  - प्राथमिकता के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को अपने कार्यबल में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना चाहिये।
  - इनमें परियोजना स्थलों पर महिलाओं के लिये उपयुक्त सुविधाओं में निवेश करना, लचीली कार्य व्यवस्था के लिये दिशानिर्देश तैयार करना और नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिये अधिक महिलाओं को तैयार करने हेतु कार्यक्रम सृजन करना शामिल हो सकता है।

एग्री-टेक और एग्री स्टार्टअप्स

कोविड-19 महामारी और यूक्रेन के युद्ध ने वैश्विक खाद्य प्रणाली को व्यापक रूप से अवरुद्ध किया है, जिसने भारत जैसे कृषि-केंद्रित देशों पर अधिक संवहनीय विकल्प प्रदान करने के लिये भारी दबाव का निर्माण किया है।

हालाँकि भारतीय कृषि की जटिलता को देखते हुए कोई एकल नीति या प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में सुधार ला सकने में सक्षम नहीं होगी।

सरकारी प्रोत्साहन और हस्तक्षेप के साथ नियमित डिजिटल रूपांतरण प्रयास भारत में कृषि मॉडल को मज़बूत कर सकते हैं। निवेश की आमद, एग्रीटेक स्टार्टअप्स (AgriTech startups) और नवाचार के संयोजन में वह क्षमता होगी जो भारतीय कृषि की गतिशीलता को बदल सकती है और एक भविष्योन्मुखी मॉडल का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

एग्री-स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में क्या भूमिका निभा रहे हैं?

- आय की वृद्धि: भारत में लघु और सीमांत किसानों की स्थिति निराशाजनक रही है जहाँ वे निम्न आय, बढ़ते कर्ज और एकल-फसल संस्कृति, अनौपचारिक उधारदाता एवं उतार-चढ़ाव भरी उत्पादन कीमतों पर निर्भरता की स्थिति से जूझ रहे हैं।
  - जो किसान जलीय कृषि (aquaculture) या पशुपालन के क्षेत्र में उद्यम करना चाहते हैं, उनके पास उचित निवेश, विपणन चैनल और ज्ञान उपलब्ध नहीं है।
  - एग्रीटेक स्टार्टअप्स और डिजिटल टूल्स के आगमन के साथ कई भारतीय किसान कृषि विविधीकरण के साथ अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं।
- कृषि विविधीकरण: एग्रीटेक स्टार्टअप किसानों को न्यूनतम स्थान और श्रम की आवश्यकता रखने वाले माइक्रो-फार्म इंस्टॉलेशन के साथ पशुधन पालन और जलीय कृषि को अपने मौजूदा कार्यों में एकीकृत करने हेतु सशक्त बना रहे हैं।
  - गैर-फसल विविधीकरण किसानों को वर्ष भर आय अर्जित करने एवं अपनी आय बढ़ाने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार लाने और संवहनीय कृषि प्रणालियों को अपनाने में मदद कर रहा है।
- जागरूकता सृजन: इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के साथ एग्रीटेक स्टार्टअप कृषक समुदायों के बीच जागरूकता की वृद्धि कर रहे हैं और उन्हें व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं एवं निर्यातकों के नेटवर्क से जोड़ रहे हैं जहाँ उनकी उपज के लिये उच्च मूल्य प्राप्त होने के अवसर उपलब्ध होते हैं।
- तकनीकी प्रगति: आपूर्ति श्रृंखला मंचों में तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप पशुधन पालन और जलीय कृषि से संलग्न किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त लाइव इनपुट सामग्री की आपूर्ति मिल रही है।

नोट :

- ऋण संस्कृति में सुधार: फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप के उदय के साथ देश का ऋण परिदृश्य बदल रहा है।
  - सेवा से वंचित रहे लघु और सीमांत किसान अब औपचारिक संस्थानों से निम्न ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  - विभिन्न सरल वित्तपोषण विकल्पों और सरकारी पहलों ने किसानों पर ब्याज के बोझ को कम किया है।

एग्री-स्टार्टअप हेतु शुरू की गई प्रमुख पहलें

- वर्ष 2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे कृषि-स्टार्टअप को प्रदत्त 50 करोड़ रुपए तक के ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (priority sector lending) के अंतर्गत देखें।
- बजट 2022 में भारत के वित्त मंत्री ने कृषि-स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिये एक फंड की भी घोषणा की। कृषि उपज मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिये नाबार्ड के माध्यम से इस विशेष फंड को लॉन्च किया जाएगा ।
- अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics- ICRISAT) ने NIDHI-सीड सपोर्ट स्कीम (NIDHI-SSS) के तहत एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स से आवेदन आमंत्रित किये हैं।
  - चयनित स्टार्ट-अप को 50 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त होगी। सीड फंड उन्हें अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में तेज़ी लाने में सक्षम बनाएगा।

एग्री-स्टार्टअप से संबद्ध समस्याएँ

- नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 75 स्टार्टअप/'न्यू एज' कंपनियों ने अप्रैल-नवंबर 2021 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (initial public offering- IPO) मार्ग से 89,066 करोड़ रुपये जुटाए जो एक दशक में जुटाई गई सर्वाधिक राशि है। हालाँकि इसमें कृषि स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी नगण्य ही रही।
  - भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र कृषि और विनिर्माण के बजाय बिग डेटा, एडटेक, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों जैसी सेवाओं के पक्ष में अधिक झुका है।
- जबकि स्टार्टअप्स के पास धन जुटाने के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं, उनके आरंभिक चरण का महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण आमतौर पर एंजेल निवेशकों (निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी के रूप में) और सरकार (सीड कैपिटल के रूप में) से प्राप्त होता है।
  - जबकि उद्यम पूंजीपति स्टार्टअप्स के विघटनकारी व्यवसाय मॉडल, उच्च विकास क्षमता और त्वरित लाभ कमाने की उनकी क्षमता के कारण उनमें निवेश के लिये आकर्षण रखते हैं, कृषि-स्टार्टअप धन आकर्षित करने के मामले में पीछे ही रहे हैं।
- भारत में 650 से अधिक स्टार्ट-अप हैं जो उद्योगों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी में कृषि-तकनीकी नवाचारों की पेशकश करते हैं, हालाँकि छोटे किसानों को सेवा दे सकने और स्वयं की वितरण प्रणाली के निर्माण की बहुत अधिक लागत के कारण उनके पास पैमाने की कमी है।
  - जबकि स्टार्ट-अप उभरती प्रौद्योगिकियों में अच्छी विशेषज्ञता रखते हैं, उनके पास प्राय: अनुप्रयोग-स्तरीय क्षेत्र विशेषज्ञता का अभाव होता है।

कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- बैंकों से सीड कैपिटल: बैंकों से सीड कैपिटल और नाबार्ड जैसे संस्थानों द्वारा एग्री-स्टार्टअप के लिये क्रेडिट प्लस सेवाओं का विस्तार करना एग्री-स्टार्टअप को भारत के स्टार्टअप पारितंत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु मदद करने में दीर्घकालिक योगदान कर सकता है।
  - सरकार को कृषि-उद्यमियों के लिये 'वित्तपोषण सुगमता' भी सुनिश्चित करनी चाहिये ताकि लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।
- कृषि के लिये 'सेबी': लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही कृषि-स्टार्टअप के लिये भी एक समर्पित एक्सचेंज स्थापित किया जा सकता है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) कृषि-स्टार्टअप को शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध करने के लिये उदार नियामक मानदंड निर्धारित कर सकता है।
  - यह कृषि-स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु अत्यंत आवश्यक जोखिम पूंजी जुटाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

नोट :

- फील्ड विशेषज्ञों के साथ सहयोग: उद्यमी बाज़ार से पूंजी जुटाने में सफल होंगे यदि वे कृषि शोधकर्ताओं, वित्तीय विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी विज़ार्ड के साथ मिलकर कार्य करें।
  - कृषि-स्टार्टअप भारत में फल-फूल सकेंगे यदि वे एपीडा (APEDA), इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, नैसकॉम जैसे उद्योग संगठनों से, विशेष रूप से लॉन्च से पहले प्रोटोटाइप के परीक्षण/सत्यापन के लिये जुड़े होंगे।
- वित्तीय साक्षरता: कृषि-उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया डोमेन पेशेवरों और इंजीनियरों से भरी हुई है जो वित्त और निवेशकों के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते।
- इसके अलावा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सामान्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति और विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई (SDG 13) के संदर्भ में कृषि-स्टार्टअप की सहायता करने के लिये तैयार हैं ।
  - जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का दृष्टिकोण रखने वाले कृषि-स्टार्टअप निकट भविष्य में सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं।
- सरकार की भूमिका: सरकार को कृषि-स्टार्टअप क्षेत्र में धन आकर्षित करने के लिये एक निवेशक-अनुकूल व्यवस्था का निर्माण करना चाहिये।
  - एंजेल निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों और निजी इक्विटी धारकों को कृषि-स्टार्टअप से बाहर निकलते समय कारोबार सुगमता प्रदान करने के अलावा पूंजीगत लाभ पर कर प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा संकट के साथ भारतीय कृषि के लिये बेहद आवश्यक है कि वह पारंपरिक औद्योगिक मॉडल से एक नए भविष्योन्मुखी एवं संवहनीय मॉडल की ओर आगे बढ़े। कृषि क्षेत्र में छोटे लेकिन नियमित परिवर्तन भारत के कृषक समुदाय को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। एग्रीटेक फर्मों, डिजिटल अवसंरचना और नवीन तकनीकों के लिये अधिकाधिक समर्थन एक डिजिटल एवं हरित कृषि मॉडल की शुरुआत कर सकता है।

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध

संदर्भ

यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के संबंधों की वर्तमान स्थिति उनकी संभावनाओं के बारे में दोनों देशों में व्याप्त निराशा के विपरीत है।

उपनिवेशवाद की प्रतिकूल विरासतों ने अतीत में दोनों पक्षों के लिये एक विवेकपूर्ण संबंध को आगे बढ़ाना असंभव बना रखा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत और UK ने भावना एवं असंतोष को पीछे रखते हुए एक आशाजनक और व्यावहारिक संलग्नता की शुरुआत की है।

दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की देखरेख में दोनों देशों की नौकरशाही वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय संबंधों को रूपांतरित कर सकने के लिये एक रोडमैप पर कार्य कर रही है।

UK के साथ भारत के संबंधों में हाल की प्रगति

- यूक्रेन संकट से उत्पन्न चुनौती के बावजूद भारत-ब्रिटेन संबंध एक ऊर्ध्वगामी प्रक्षेपवक्र पर रहा है जिसकी पुष्टि वर्ष 2021 में संपन्न हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) से परिलक्षित होती है।
  - इस समझौते ने भारत-UK संबंधों के लिये वर्ष 2030 के रोडमैप का भी निर्माण किया जो मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों के लिये साझेदारी योजनाओं की एक रूपरेखा तैयार करता है।
- ब्रिटेन की विदेश सचिव ने अपनी हाल की यात्रा में आक्रमक देशों पर नियंत्रण के लिये लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग के महत्त्व को रेखांकित करते हुए रूसी आक्रमण का मुक़ाबला करने और रूस पर वैश्विक रणनीतिक निर्भरता को कम करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा-संबंधी व्यापार और साइबर सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को गहरा करने की दिशा में भी बातचीत को आगे बढ़ाया।
  - भारत और UK में ऑनलाइन अवसंरचना की सुरक्षा के लिये एक नए संयुक्त साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की भी घोषणा की जानी है।

नोट :

- भारत और UK अपना पहला 'स्ट्रैटेजिक टेक डायलॉग' आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं जो उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन होगा।

- इसके अतिरिक्त, UK और भारत समुद्री क्षेत्र में भी अपने सहयोग को मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं जहाँ UK भारत के हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative) में शामिल होगा और दक्षिण-पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा विषयों पर एक प्रमुख भागीदार देश बनेगा।
- जनवरी 2022 में भारत-UK मुक्त व्यापार समझौते के लिये पहले दौर की वार्ता भी संपन्न हुई।
  - इस वार्ता ने दुनिया की पाँचवीं (UK) और छठी (भारत) सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक व्यापक सौदे को संपन्न की साझा महत्त्वाकांक्षाओं को दर्शाया, जहाँ दोनों पक्षों के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने 26 नीति क्षेत्रों को शामिल करते हुए 32 से अधिक सत्रों को कवर किया।

उन्नत भारत-UK संबंधों में अन्य देशों की भूमिका

- अमेरिका: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रूपांतरित करने में अमेरिका की केंद्रीय भूमिका रही है। अमेरिका द्वारा भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में चिह्नित किये जाने ने ब्रिटेन का भी ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया।
  - यह अमेरिका ही था जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत के तेज़ी से बढ़ते सापेक्षिक महत्त्व को सबसे पहले पहचाना। 20वीं सदी के अंत तक अमेरिका ने भारत के उदय में सहायता करने की अपनी नीति का अनावरण इस दृष्टिकोण से कर लिया कि एक मज़बूत भारत एशिया और विश्व में अमेरिकी हितों की पूर्ति करेगा।
- चीन: अमेरिका के लिये भारत के उदय में सहायता करने की रणनीतिक प्रतिबद्धता चीनी प्रभुत्त्व वाले एशिया के संभावित खतरों की पहचान में निहित थी।
  - पिछले दो दशकों में UK और चीन ने उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध साझा किए; इनमें से पहले दशक को वर्ष 2015 में चीन के साथ संबंधों का 'स्वर्णिम दशक' घोषित किया गया था।
  - हालाँकि, चीन की विस्तारवादी नीतियों और चीनी शक्ति के साथ अमेरिका के टकराव के कारण ब्रिटेन ने भी एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत के साथ अपने स्वयं के 'हिंद-प्रशांत झुकाव' की तलाश कर ली।

भारत-UK साझेदारी क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- UK के लिये: भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बाज़ार हिस्सेदारी और रक्षा दोनों ही विषयों में UK के लिये एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है जो वर्ष 2015 में भारत और UK के बीच 'रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी' (Defence and International Security Partnership) पर हस्ताक्षर द्वारा रेखांकित भी हुआ।
  - ब्रिटेन के लिये भारत के साथ सफलतापूर्वक FTA का संपन्न होना 'ग्लोबल ब्रिटेन' की उसकी महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगा क्योंकि UK 'ब्रेग्जिट' (Brexit) के बाद से यूरोप से परे भी अपने बाज़ारों के विस्तार की आवश्यकता और इच्छा रखता है।
  - ब्रिटेन एक गंभीर वैश्विक अभिकर्ता के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह सुदृढ़ करने के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
    - भारत के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंधों के साथ वह इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से हासिल कर सकने में सक्षम होगा।
- भारत के लिये: ओमान, सिंगापुर, बहरीन, केन्या और हिंद महासागर के ब्रिटिश क्षेत्रों में नौसैनिक सुविधाओं के साथ UK हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है।
  - UK ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का समर्थन करने के लिये 70 मिलियन पाउंड ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय निवेश निधि की भी पुष्टि की है, जो इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण और सौर ऊर्जा के विकास में मदद करेगी।
  - भारत UK से भारतीय मत्स्य क्षेत्र, फार्मा और कृषि उत्पादों के लिये आसान बाज़ार पहुँच की मांग रखता है, साथ ही श्रम-गहन निर्यात के लिये शुल्क रियायत की भी अपेक्षा करता है।

नोट :

भारत-UK संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं?

- औपनिवेशिक दृष्टि: ब्रिटेन के साथ भारत की संलग्नता कई विरोधाभासों का शिकार रही है। भारत का उत्तर-औपनिवेशिक असंतोष और उपमहाद्वीप में एक विशेष भूमिका रखने के ब्रिटेन के अस्वीकार्य दावे ने दोनों देशों के बीच एक अंतहीन संघर्ष को जन्म दिया।
  - देश विभाजन के परिणामों और शीत युद्ध की स्थिति ने दोनों देशों के लिये एक सतत् साझेदारी का निर्माण करना कठिन बना दिया।
  - हालाँकि हाल में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल ने पारस्परिक रूप से लाभकारी संलग्नता के लिये दोनों देशों को एक नया आधार प्रदान किया है।
- पाकिस्तानी आयाम: पाकिस्तान भी ब्रिटेन के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी बाधा रहा है। ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान की हिमायत करना भारत के लिये हमेशा से चिंता का विषय रहा है।
  - अमेरिका और फ्राँन्स—जो दक्षिण एशिया में 'इंडिया फर्स्ट' की रणनीति हेतु प्रतिबद्ध हैं, के विपरीत ब्रिटेन भारत के लिये अपने नए उत्साह और पाकिस्तान के प्रति अपने ऐतिहासिक झुकाव की जड़ता के बीच फँसा रहा है।
- ब्रिटेन की घरेलू राजनीति: ब्रिटेन की घरेलू राजनीति ने भी भारत के साथ उसके संबंधों में एक रुकावट को अवसर दिया है।
  - दिल्ली में एक प्रचलित धारणा यह रही थी कि UK की लेबर पार्टी भारत के प्रति सहानुभूति रखती है जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ऐसी भावना नहीं रखती। यद्यपि यह भ्रमित दृष्टिकोण ही साबित हुआ और भारत के प्रति वैमनस्य किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहा।
    - लेबर पार्टी भी भारत के आंतरिक मामलों (कश्मीर सहित) में हस्तक्षेप से पीछे नहीं रही है।

भारत-ब्रिटेन संबंधों को कैसे मज़बूत किया जा सकता है?

- पोस्ट-ब्रेग्जिट ब्रिटेन को अपने ऐतिहासिक संबंधों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की ज़रूरत है; यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद उसे अधिकाधिक भागीदारों की आवश्यकता है और एक उभरता हुआ भारत उसके लिये स्वाभाविक रूप से शीर्ष राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं में से एक है।
  - भारत और UK दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में और साथ ही वैश्विक स्तर पर रणनीतिक एवं रक्षा-संबंधी मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिये विरासत की समस्याओं को नियंत्रित करने और ठोस संवाद में शामिल होने के प्रति गंभीर हैं।
  - इधर दूसरी ओर भारत UK के साथ संलग्नता में अब अत्यधिक आत्मविश्वास रखता है; अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा ब्रिटेन को पीछे छोड़ देने के आकलन के साथ अब भारत रक्षात्मक रुख नहीं रखता।
- ब्रिटेन विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य, एक वैश्विक वित्तीय केंद्र, तकनीकी नवाचार का केंद्र और एक प्रमुख साइबर शक्ति होने की क्षमता है। वह उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उपस्थिति और व्यापक राजनीतिक प्रभाव भी रखता है।
  - भारत को अपने रणनीतिक लाभ के लिये UK की इस स्थिति तथा शक्तियों का लाभ उठा सकने के लिये और अधिक प्रयास करना चाहिये।
  - ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा गत्यात्मक रूप से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका के महत्त्व को दर्शाती है जहाँ भारत आने वाले समय में कई प्रमुख विदेशी नेताओं की मेजबानी के लिये और वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता हेतु तैयार है।
  - ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा के दौरान भारत-UK FTA पर वार्ता को आगे बढ़ाना प्राथमिक विषयों में से एक होना चाहिये।
  - फिनटेक, बाज़ार विनियमन, सतत् एवं हरित वित्त और साइबर सुरक्षा इस संलग्नता के नए मोर्चे के रूप में उभर सकते हैं।

भारत में सरकारी स्कूल

संदर्भ

कोविड-19 महामारी के कारण लगभग दो वर्षों तक बंद रहने के बाद स्कूल अब धीरे-धीरे फिर से खुलने लगे हैं और बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो गया है।

- हालाँकि स्कूल से लगभग दो वर्ष तक दूर रहने या बिना किसी शैक्षिक गतिविधियों के घर पर ही यह समय व्यतीत करने के बाद छात्रों के लिये पुन: विद्यालयों की ओर लौटना और विद्यालय के पठन-पाठन से सामंजस्य बिठाना कुछ चुनौतीपूर्ण होगा।

नोट :

- इस परिदृश्य में शैक्षिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ-साथ अनुकूल कक्षा वातावरण—जो लंबे समय तक चिंता, तनाव और अलगाव झेलने वाले बच्चों के लिये पर्याप्त संवेदनशील हो, सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय प्रबंधनों को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- भारत में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की हालिया प्रवृत्ति के आलोक में विद्यालयों के अनुकूल रूप से तैयार होने का प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है।

नामांकन परिदृश्य में हाल की प्रगति

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report- ASER), 2021 के अनुसार ग्रामीण भारत में वर्ष 2018 और वर्ष 2021 के बीच सभी ग्रेडों में और बालक-बालिकाओं, दोनों के मामले में, निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में नामांकन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।
  - यह वृद्धि निम्नतम ग्रेड में नामांकित बच्चों में सबसे अधिक उल्लेखनीय है।
  - कक्षा I और II में बालिकाओं और बालकों दोनों के लिये सरकारी स्कूलों में नामांकन में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 के बीच क्रमशः 9 प्रतिशत और 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- समग्र रूप से 17 राज्यों में सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि देखी गई।
  - उत्तर प्रदेश और केरल चार्ट में सबसे ऊपर हैं जहाँ इस अवधि में सरकारी स्कूलों में नामांकन में क्रमशः 13.2 और 11.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
  - सरकारी स्कूलों की ओर वापस लौटने से एक दशक पुरानी प्रवृत्ति में बदलाव आया है, जिसमें सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ता जा रहा था।
- उल्लेखनीय है कि समीक्षाधीन अवधि में नगालैंड और मणिपुर में सरकारी स्कूलों में नामांकन स्तर में 11.4 और 13.4 प्रतिशत की कमी देखी गई।
- हालाँकि ऐसा निजी स्कूलों में अधिक नामांकन के कारण नहीं हुआ है, बल्कि यह परिदृश्य उन बच्चों की बड़ी संख्या के कारण है जो वर्तमान में इन राज्यों में स्कूलों में नामांकित नहीं हैं। वर्ष 2018-21 में मणिपुर में इनकी संख्या 1.1% से बढ़कर 15.5% और नगालैंड में 1.8% से बढ़कर 19.6% हो गई।
- वर्ष 2021 में 6-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों (जो वर्तमान में स्कूल में नामांकित नहीं हैं) के अनुपात में वर्ष 2018 के स्तर की तुलना में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जहाँ आंध्र प्रदेश (7%), मणिपुर (15.5%), नगालैंड (19.6%) और तेलंगाना (11.8%) जैसे राज्यों में वर्ष 2018 की तुलना में वर्तमान गैर-नामांकित स्तरों में उच्च वृद्धि नज़र आई है।

सरकारी स्कूलों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

- 'लर्निंग लेवल' का संकट: ASER ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के लिये 'लर्निंग लेवल' पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं जिससे पता चला है कि इन राज्यों में सीखने के स्तर में समस्या है। संभव है कि अन्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में भी यही स्थिति हो।
  - पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकित ऐसे बच्चों के अनुपात में गिरावट आई है जो-
    - वर्णमाला के अक्षर पढ़ सकते हैं (वर्ष 2018 से 7 प्रतिशत की गिरावट और अब वर्ष 2014 के स्तर से भी नीचे)
    - एकल अंकों को पढ़ सकते हैं (वर्ष 2018 के बाद से लगभग 10 प्रतिशत अंक की गिरावट)।
  - छत्तीसगढ़ में कक्षा I के अक्षर पढ़ सकने वाले बच्चों के अनुपात में वर्ष 2018 के बाद से 8.3 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि कक्षा III के सरकारी-स्कूल के ऐसे छात्रों के अनुपात में 10 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है जो गणित में घटाव की क्रिया कर सकने में सक्षम हों।
- स्कूलों की बदतर अवसंरचना: शिक्षा के लिये एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education-UDISE), 2019-20 के आँकड़ों के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों में से केवल 12% में इंटरनेट की सुविधा और केवल 30% में कंप्यूटर उपलब्ध थे।

नोट :

- इनमें से लगभग 42% स्कूलों में फर्नीचर नहीं थे, 23% बिना बिजली के थे, 49% में हैंड-रेल नहीं थे, 22% में दिव्यांगों के लिये रैंप सुविधा नहीं थी और 15% में 'WASH' सुविधाओं (जिसमें पेयजल, शौचालय और हाथ धोने के बेसिन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं) का अभाव था।
- स्कूल अवसंरचना की पहले से ही खराब स्थिति संभव है कि पिछले दो वर्षों में और खराब हो गई हो जब सरकारी स्कूल बंद रहे थे या उन्हें कोविड-पॉजिटिव रोगियों के अलगाव के लिये अस्थायी वार्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

- शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या: महामारी से हुए व्यवधान ने शिक्षकों की चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया जो देश भर में स्कूली छात्रों को शैक्षिक और गैर-शैक्षिक सहायता प्रदान कर रहे थे।
  - इस प्रकोप के पहले से भी भारत का शैक्षिक परिदृश्य शिक्षकों की भर्ती एवं प्रबंधन, शिक्षकों के प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और शिक्षकों की कमी जैसी कई चुनौतियों से ग्रस्त रहा था।
- कोविड के कारण लर्निंग की हानि : कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल सबसे अधिक समय तक बंद रहे संस्थानों में एक रहे और सरकारी स्कूलों के कई छात्र ऐसे परिवारों से थे जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं रखते थे।
  - परिणामस्वरूप जब स्कूल फिर से खुले तो ये बच्चे अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में पिछड़े हुए थे। इसने शिक्षकों के लिये सबसे बड़ी चुनौती उत्पन्न की।
  - कक्षा I और II के एक तिहाई बच्चों ने अभी तक भौतिक रूप से क्लासरूम देखे भी नहीं हैं।

आगे की राह

- सरकारी स्कूलों में नामांकन का बढ़ता स्तर केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिये छात्रों का विद्यालय में बने रहना सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है।
  - स्कूलों को उन बच्चों की पहचान करनी चाहिये जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे हैं और उनके पाठ पढ़ने, लिखने, अंकगणित और समझने के कौशल को अपनी गति से सुदृढ़ करने के लिये बुनियादी रिवीजन और ब्रिज कार्यक्रम चलाएँ।
    - निपुण भारत (Nipun Bharat) पहल इस दिशा में एक आश्वस्तिकारक कदम है।
- समय की आवश्यकता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने के साथ स्कूल अवसंरचना में सुधार किया जाए। इसके साथ ही महामारी के जोखिमों को देखते हुए स्कूलों में 'WASH' सुविधाओं (कोविड रोकथाम उपायों सहित) का भी प्रबंध किया जाना चाहिये।
- भारत में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी की स्थिति है। इन स्कूलों में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिये इस अंतराल को भरा जाना आवश्यक है।
  - बढ़े हुए नामांकनों के आलोक में शिक्षकों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार करना उचित होगा।
- छात्रों के एक वृहत वर्ग तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से अकादमिक समय सारिणी का लचीला पुनर्निर्धारण होना चाहिये और अन्य विकल्पों की तलाश की जानी चाहिये।
  - गरीब/वंचित समूह के छात्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये जो ई-लर्निंग तक पहुँच नहीं रखते।
- एक संकट के समय सरकारी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान राज्य की भूमिका के बारे में लोगों की अपेक्षाओं का स्पष्ट संकेत देता है कि वह शिक्षा अधिकार की तरह प्रदान करे, न कि केवल किसी अन्य सेवा के रूप में।
  - भारत में राज्य-संचालित स्कूली शिक्षा प्रणालियों के संबंध में विभिन्न हितधारकों (विशेषकर माता-पिता और बच्चों) की धारणाओं में सुधार के लिये राज्य और केंद्र स्तर पर सरकारों द्वारा अधिकाधिक प्रयास किये जाने चाहिये।

कुशल भारत का निर्माण

संदर्भ

प्रौद्योगिकीय कायापलट के साथ नए तरह के रोज़गार अवसरों का सृजन हुआ है जिनके लिये विभिन्न प्रकार के विशेष कौशलों की आवश्यकता होती है। इन हायर-एंड नौकरियों के लिये नेटवर्किंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम-सॉल्विंग जैसे अधिकाधिक 'मानवीय' कौशल की ज़रूरत पड़ती है।

नोट :

- चूँकि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ औसत आयु 29 वर्ष है (चीन के 37 वर्ष और जापान के 48 वर्ष की तुलना में), इसमें युवा आबादी के इस पूल को मानव पूंजी में बदलने की क्षमता है, बशर्ते उनकी शिक्षा एवं कौशल निर्माण पर लगातार ध्यान दिया जाए।
- लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जहाँ देश के कार्यबल में हर वर्ष 12 मिलियन लोग जुड़ते हैं, 4% से भी कम को कभी कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। भारत की कार्यबल तैयारी (Workforce Readiness) का स्तर विश्व में निम्नतम में से एक है और विद्यमान प्रशिक्षण अवसंरचना का एक बड़ा भाग उद्योग की आवश्यकताओं के लिये अप्रासंगिक है।

भारत का मानव संसाधन परिदृश्य

- वर्ष 2021 में लगभग 135 करोड़ भारतीयों में से लगभग 34% (46.42 करोड़) 19 वर्ष से कम आयु के थे और लगभग 56% (75.16 करोड़) 20 से 59 वर्ष के बीच के थे।
  - वर्ष 2041 तक यह जनसांख्यिकी बदल जाएगी लेकिन 20-59 आयु वर्ग की अपनी 59% (88.97 करोड़) आबादी के साथ भारत फिर भी विश्व में मानव संसाधनों का सबसे बड़ा पूल रख सकता है।
- अगले दो दशकों में औद्योगीकृत विश्व में श्रम शक्ति में 4% की गिरावट की उम्मीद है, जबकि भारत में इसमें लगभग 20% की वृद्धि होगी।
  - भारत प्रतिभा और कौशल का आपूर्तिकर्त्ता बन सकता है यदि सभी आयु समूहों में इसका कार्यबल रोज़गार योग्य कौशल से लैस हो और जो तेज़ी से बदलते तकनीकी पारितंत्र के साथ तालमेल बिठा सकता हो।

भारत के मानव संसाधन के कौशल निर्माण की स्थिति:

- राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति (National Policy on Skill Development and Entrepreneurship) पर वर्ष 2015 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि भारत में कुल कार्यबल के केवल 4.7% ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जबकि अमेरिका में यह 52%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% था।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation- NSDC) द्वारा वर्ष 2010-2014 की अवधि के लिये किये गए एक कौशल अंतराल अध्ययन से पता चला कि वर्ष 2022 तक 24 प्रमुख क्षेत्रों में 10.97 करोड़ कुशल जनशक्ति की अतिरिक्त निवल वृद्धिशील आवश्यकता होगी।
  - इसके अलावा, 29.82 करोड़ कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के कामगारों की स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग की आवश्यकता होगी।

कौशल विकास के लिये की गई प्रमुख पहलें

- प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना: समय के साथ प्रशिक्षण और कौशल के लिये एक पर्याप्त वृहत संस्थागत प्रणाली का विकास हुआ है। इसमें 15,154 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ ITIs (11,892 निजी संस्थानों सहित), 36 क्षेत्र कौशल परिषद, 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और NSDC के साथ पंजीकृत 2,188 प्रशिक्षण भागीदार शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: सरकार की फ्लैगशिप 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' वर्ष 2015 में ITIs के माध्यम से और अप्रेंटिसशिप योजना (Apprenticeship Scheme) के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण व कौशल प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी।
  - वर्ष 2015 से अब तक सरकार इस योजना के तहत 10 मिलियन से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर चुकी है।
- 'संकल्प' और 'स्ट्राइव': संकल्प कार्यक्रम (SANKALP programme)—जो ज़िला-स्तरीय स्किलिंग पारितंत्र पर केंद्रित है और 'स्ट्राइव योजना' (STRIVE project)—जिसका उद्देश्य ITIs के प्रदर्शन में सुधार करना है, अन्य महत्त्वपूर्ण कौशल निर्माण हस्तक्षेप हैं।
- विभिन्न मंत्रालयों की पहल: 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग 40 कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। कुल कौशल निर्माण में 'कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय' का योगदान लगभग 55% है।
  - इन सभी मंत्रालयों की पहल के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 से लगभग चार करोड़ लोगों को विभिन्न औपचारिक कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

नोट :

- कौशल निर्माण में अनिवार्य CSR व्यय: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य CSR व्यय के कार्यान्वयन के बाद से भारत में निगमों ने विविध सामाजिक परियोजनाओं में 100,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।
  - इनमें से लगभग 6,877 करोड़ रुपये कौशल निर्माण और आजीविका उन्नयन परियोजनाओं पर खर्च किये गए हैं। इस क्रम में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात शीर्ष पाँच प्राप्तकर्ता राज्य रहे।
- स्किलिंग के लिये 'तेजस' पहल: हाल ही में स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट 'तेजस' (TEJAS- Training for Emirates Jobs And Skills) को विदेशी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिये दुबई एक्सपो, 2020 में लॉन्च किया गया था।
  - यह परियोजना भारतीयों के कौशल निर्माण, प्रमाणन और विदेश में नियोजन पर केंद्रित है तथा भारतीय कार्यबल को यूएई में कौशल और बाज़ार आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाने के लिये प्रयासरत है।

कौशल विकास के संबंध में विद्यमान चुनौतियाँ:

- बुनियादी शिक्षा की कमी: वर्ष 2020 के एक NSO सर्वेक्षण से उजागर हुआ है कि स्कूल या कॉलेज में नामांकित प्रत्येक आठ छात्रों में से एक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देता है। इनमें से 63% स्कूल स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।
  - अधिकतम 'ड्रॉपआउट' उच्च प्राथमिक (17.5%) और माध्यमिक विद्यालय (19.8%) वर्षों में देखने को मिले हैं। 40% से भी कम छात्रों ने उच्चतर माध्यमिक और/या उच्च शिक्षा ग्रहण की।
  - बुनियादी स्तर की शिक्षा के अभाव में उच्च स्तर की नौकरियों के लिये युवा आबादी का कौशल उन्नयन करना कठिन होगा।
- अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग पर फोकस की कमी: विविध स्किलिंग पहलों में वृद्धि के साथ भारत ने कार्यबल की कौशल निर्माण आवश्यकताओं को काफी हद तक संबोधित कर दिया है।
  - हालाँकि, वृहत कामकाजी आबादी की अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग आवश्यकताएँ अभी तक प्राय: पूरी नहीं हो सकी हैं।
  - PLFS डेटा 2019-20 के अनुसार, 15-59 आयु वर्ग के 86.1% लोगों को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ था; शेष 13.9% ने विविध औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
- अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ: NSSO द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, आतिथ्य और ऑटोमोबाइल जैसे 20 उच्च-विकास उद्योगों में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी है।
  - भारत में प्रशिक्षण के लिये लगभग 5,500 सार्वजनिक (ITIs के रूप में) और निजी (ITC के रूप में) संस्थान हैं, जबकि चीन में ऐसे संस्थानों की संख्या 500,000 तक है।
- कोविड-19 महामारी: कोविड-19 महामारी लघु और दीर्घकालिक दोनों तरह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में व्यवधान के लिये ज़िम्मेदार रही, जिससे लाखों छात्रों को नुकसान हुआ है।
  - कोविड की पहली लहर में 30,000 से अधिक ITIs और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों ने अस्थायी रूप से प्रशिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया, जिससे देश भर में 50 लाख उम्मीदवारों के लिये अवसरों का नुकसान हुआ।

भारतीय कार्यबल की अप-स्किलिंग के लिये क्या किया जा सकता है?

- ड्रॉपआउट की प्रवृत्ति को बदलना: NSDC द्वारा आकलित कौशल आवश्यकताओं के साथ स्कूल/कॉलेज ड्रॉपआउट छोड़ने की प्रवृत्तियों को संयुक्त कर देखें तो स्पष्ट है कि हमारी सकारात्मक जनसांख्यिकी का लाभ उठाने के लिये उल्लेखनीय प्रयास करने होंगे।
  - ग्रामीण या शहरी परिवेश पर विचार किये बिना पब्लिक स्कूल प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक बच्चा हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी करे और उसे बाज़ार की मांग के अनुरूप उपयुक्त कौशल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जाए।
  - मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCS) के साथ वर्चुअल क्लासरूम को स्थापित करने हेतु नई प्रौद्योगिकी की तैनाती से उच्च शिक्षित कार्यबल प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- लक्ष्यों में अप-स्किलिंग को शामिल करना: इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि पहले से नियोजित कार्यबल की अप-स्किलिंग से अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादकता, श्रमिकों के लिये उच्च आय और फर्मों के लिये उच्च लाभप्रदता की स्थिति प्राप्त हो सकती है।
  - इसी प्रकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PPP प्रारूप में अप-स्किलिंग पहलों को प्राथमिकता दे सकती है। यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में उनके कौशल प्रयासों में औद्योगिक क्षेत्र के अभिकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी होती है।
  - अपने मौजूदा कार्यबल के कौशल की गुणवत्ता को बढ़ाकर ही भारत अपने आकांक्षी विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकेगा।

नोट :

- कॉर्पोरेट क्षेत्र को शामिल करना: कौशल विकास में निवेश कॉर्पोरेट भारत के साथ-साथ समग्र रूप से राष्ट्र के लिये एक लाभप्रद स्थिति होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में NASSCOM की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने से परिव्यय पर 600% से अधिक का रिटर्न प्राप्त हुआ।
  - भारतीय निगम उद्योग-विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिये उद्योग-स्तरीय सहयोग पर विचार कर सकते हैं।
  - बड़े उद्योग बड़े शहरों से लेकर छोटे ज़िलों और गाँवों तक अपने कार्यकरण का विस्तार कर सकते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिये एक बड़ा कदम साबित होगा।

भारत में कृषि-वानिकी

संदर्भ

इस बात की प्रबल संभावना है कि जलवायु परिवर्तन समग्र विश्व में कृषि के लिये नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करेगा। जलवायु परिवर्तन के अनुक्रमिक परिणाम के रूप में चरम मौसमी घटनाओं द्वारा कृषि की समग्र उत्पादकता को कम कर देने की भी संभावना है। अचानक आने वाली बाढ़, सूखा, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, ग्रीष्म व शीत लहरें (जो फसलों के लिये अनुपयुक्त तापमान उत्पन्न करती हैं) जैसी घटनाएँ कृषि अभ्यासों को नई जलवायु वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने की मांग रखती हैं। इस परिदृश्य में कृषि-वानिकी (Agro-forestry) का अभ्यास भारत के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

कृषि-वानिकी: परिचय

- कृषि-वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो वृक्षारोपण, फसल उत्पादन और पशुपालन को इस तरह से एकीकृत करती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत उपयुक्त हो।
  - यह उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की संवहनीयता को बढ़ाने के लिये कृषि भूमि और ग्रामीण भू-दृश्य के साथ वृक्षों व झाड़ियों को एकीकृत करता है।
- यह एक गतिशील, पारिस्थितिकी पर आधारित, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है, जो खेतों एवं कृषि भू-दृश्य में काष्ठीय बारहमासी (Woody Perennials) पादप के एकीकरण के माध्यम से उत्पादन में विविधता एवं संवहनीयता लाती है और सामाजिक सहयोग का निर्माण करती है।

कृषि-वानिकी कैसे महत्त्वपूर्ण है?

- आर्थिक मूल्य: यह देश की ईंधन लकड़ी (Fuelwood) आवश्यकताओं के लगभग आधे हिस्से, लघु इमारती लकड़ी (Small Timber) की मांग के लगभग दो-तिहाई हिस्से, प्लाईवुड आवश्यकता के 70-80% भाग, लुग्दी (Paper Pulp) उद्योग के लिये कच्चे माल के 60% भाग और हरा चारा (Green Fodder) के 9-11% हिस्से की पूर्ति करती है।
  - वृक्ष उत्पाद और वृक्ष द्वारा प्रदत्त सेवाएँ ग्रामीण आजीविका में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।
  - फल, चारा, ईंधन, फाइबर, उर्वरक और इमारती काष्ठ खाद्य व पोषण सुरक्षा एवं आय सृजन में योगदान करते हैं, साथ ही फसल खराब होने पर बीमा के रूप में कार्य करते हैं।
- कार्बन प्रच्छादन (Carbon Sequestration): कृषि-वानिकी या वृक्ष-आधारित खेती एक स्थापित प्रकृति-आधारित गतिविधि है जो कार्बन-तटस्थ विकास में सहायता कर सकती है।
  - यह वनों के बाहर वृक्षावरण का विस्तार करती है, प्राकृतिक वनों की तरह कार्बन प्रच्छादन में योगदान करती है और इस तरह उन पर से दबाव को कम करती है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती है।
- उर्वरकों की खपत में कमी: कृषि-वानिकी प्रणालियों में उगाए जाने वाले नाइट्रोजन-फिक्सिंग वृक्ष प्रति वर्ष लगभग 50-100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फिक्सिंग में सक्षम हैं। यह कृषि-वानिकी प्रणाली के सबसे आशाजनक घटकों में से एक है।
  - गिरी हुई पत्तियाँ अपघटित हो ह्यूमस का निर्माण करती हैं और पोषक तत्व प्रदान कर मृदा की गुणवत्ता को समृद्ध करती हैं। यह उर्वरक आवश्यकता को भी कम करती है।

नोट :

- रासायनिक उर्वरकों की कम आवश्यकता के कारण कृषि-वानिकी जैविक खेती (Organic Farming) को पूरकता प्रदान कर सकती है।

- पारिस्थितिकी के अनुकूल: कम रसायनों के उपयोग से जलवायु पर मानवजनित प्रभावों (Anthropogenic Effects) को कम करने में भी मदद मिलेगी।
  - कृषि-वानिकी कटाव नियंत्रण एवं जल प्रतिधारण, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, कार्बन भंडारण, जैव-विविधता संरक्षण और स्वच्छ हवा में मदद करती है और समुदायों को चरम मौसमी घटनाओं का मुक़ाबला कर सकने में सक्षम बनाती है।
- वैश्विक जलवायु लक्ष्य: कृषि-वानिकी निम्नलिखित विषयों में भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में भी मदद कर सकती है—
  - जलवायु- वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य की प्राप्ति।
  - मरुस्थलीकरण- वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality) प्राप्त करना; इस प्रकार 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को पूरा करना।
- बेहतर कृषि उपज: सामान्य मृदा की तुलना में वन-प्रभावित मृदा में फसलों की अधिक पैदावार देखी गई है।
  - उपयुक्त कृषि-वानिकी प्रणाली मृदा के भौतिक गुणों में सुधार करती है, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को बनाए रखती है और पोषक चक्रण को बढ़ावा देती है।
  - कृषि-वानिकी संवहनीय नवीकरणीय बायोमास आधारित ऊर्जा के उत्पादन और संवर्द्धन में भी मदद करेगी।

कृषि-वानिकी के प्रति अब तक भारत का रुख

- वर्ष 2014 में भारत रोज़गार, उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये एक 'राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति' (National Agroforestry Policy- NAP) अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना।
- वर्ष 2016 में NAP के अंतर्गत लगभग 1,000 करोड़ रुपए परिव्यय के 'कृषि-वानिकी पर उप-अभियान' (Sub-Mission on Agroforestry- SMAF) की शुरुआत की गई ताकि 'हर मेड़ पर पेड़' के टैगलाइन के साथ कृषि-वानिकी को एक समग्र राष्ट्रीय प्रयास का रूप दिया जा सके।
- वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में भारत के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा देगी।
  - हालाँकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने SMAF का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ विलय कर दिया जिसने कृषि-वानिकी क्षेत्र को अपनी प्रमुख कार्यान्वयन शाखा से वंचित कर दिया।

कृषि-वानिकी के अंगीकरण से संबद्ध समस्याएँ

- किसानों के बीच सूचनाओं का अभाव: हालाँकि कृषि-वानिकी भारत में अज्ञात नहीं है, कई किसान वृक्षों के रोटेशन और परिपक्व वृक्षों के व्यापार संबंधी कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी की कमी के कारण इसे अपनाने को इच्छुक नहीं हैं।
- कृषि-वानिकी का अस्पष्ट वर्गीकरण: कृषि-वानिकी एक अपेक्षित आंदोलन का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सका है। लंबे समय तक यह विषय 'कृषि' और 'वानिकी' के बीच की दरार में झूलता रहा जहाँ दोनों ही क्षेत्रों का इस पर प्राधिकार नहीं था।
  - राष्ट्रीय प्रणाली में कृषि-वानिकी का मूल्य और दर्जा अस्पष्ट और लगभग उपेक्षित ही बना रहा है।
  - प्रतिकूल नीतियों और कानूनी अड़चनों के कारण इस पर कम ध्यान दिया गया और काश्तकार-किसानों द्वारा इसे अपनाना भूधृति (Tenure) की असुरक्षा के कारण बाधित ही रहा।
- वित्तीय बाधाएँ: इस क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश भी उपेक्षा का एक कारण है। फसल क्षेत्र के लिये उपलब्ध ऋण और बीमा उत्पादों के विपरीत, खेतों में पेड़ उगाने के लिये न्यूनतम प्रावधान मौजूद हैं।
  - कमज़ोर विपणन अवसंरचना, मूल्य खोज तंत्र की अनुपस्थिति और फसल कटाई के बाद की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों की कमी ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है।

नोट :

- लघु और सीमांत कृषि-भूमि: अधिकांश किसान लघु और सीमांत हैं जिनके पास छोटे खेत हैं (2 हेक्टेयर से कम)। इस परिदृश्य में आर्थिक रूप से और स्थानिक रूप से कृषि-वानिकी अव्यवहार्य है।

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिये क्या किया जा सकता है?

- इस क्षेत्र को इसके उपयोगिता दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य से संस्थागत रूप से मज़बूत और स्पष्ट चिह्नित किये जाने की आवश्यकता है जो खेत-वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को समाहित करता हो।
- केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के बजाय सभी छोटे भूमिधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
  - प्रोटोकॉल विकसित करने की आवश्यकता है जहाँ छोटे भूमिधारक कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से आय अर्जित कर सकते हों।
  - दीर्घावधिक वित्तपोषण चक्र के साथ संस्थागत ऋण, ब्याज स्थगन और कृषि-वानिकी के लिये उपयुक्त बीमा उत्पादों को भी अभिकल्पित किया जाना चाहिये।
  - निजी क्षेत्र को भी कृषि-वानिकी में एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में, साथ ही 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR) के माध्यम से निवेश करना चाहिये।
- वृक्ष आधारित खेती और मूल्य शृंखला विकास के विस्तार को बढ़ावा देने के लिये क्षमता निर्माण हेतु किसान समूहों—सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, किसान-उत्पादक संगठनों (FPOs), को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - कम से कम 10% कृषि भूमि को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखना संभव है।
- कृषि-वानिकी की वर्तमान स्थिति प्रतिकूल कानूनों में संशोधन और वानिकी एवं कृषि से संबंधित विनियमों को सरल बनाने की मांग रखती है।
  - नीति-निर्माताओं को भूमि उपयोग और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सभी नीतियों में कृषि-वानिकी को शामिल करना चाहिये और कृषि-वानिकी संबंधी अवसंरचना में सरकारी निवेश तथा स्थायी उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- वैज्ञानिक और शोधकर्ता स्थान-विशिष्ट वृक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियाँ विकसित कर सकते हैं जो संवहनीय आजीविका के लिये फसल और पशुधन प्रणालियों को पूरकता प्रदान करे, लैंगिक चिंताओं को संबोधित करे और स्थानीय समुदायों के विचारों को इसमें शामिल करे।

भारत में CBDC

संदर्भ

पिछले दशक बाज़ार में कारोबार की जाने वाली कई प्रतिभूतियों के डिजिटलीकरण के बाद अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लाने की तैयारी चल रही है।

विश्व भर में CBDC की मांग बढ़ रही है। निजी डिजिटल मुद्राओं- क्रिप्टोकरेंसी के तेज़ प्रसार के साथ संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तपोषण के रूप में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को होने वाले संभावित खतरों को देखते हुए सरकारों को अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिये शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता है।

CBDC का परिदृश्य

- CBDC कागज़ी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित वैध मुद्रा है।
- कई देशों ने निजी डिजिटल मुद्राओं के विस्थापन को बढ़ावा देने के लिये वैध मुद्रा के रूप में कार्य करने के लिये अधिक विश्वसनीय डिजिटल मुद्राएँ प्रदान करने के उद्देश्य से अपना स्वयं का CBDC जारी करने का निर्णय लिया है।
  - बहामा विश्व की पहली अर्थव्यवस्था है जिसने अपनी राष्ट्रव्यापी CBDC जारी की है जिसे 'सैंड डॉलर' (Sand Dollar) नाम दिया गया है।
  - नाइजीरिया एक अन्य देश है जिसने वर्ष 2020 में 'eNaira' नामका CBDC जारी की है।

नोट :

- चीन विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहला है जिसने अप्रैल 2020 में डिजिटल मुद्रा e-CNY का परिचालन शुरू किया।
  - कोरिया, स्वीडन, जमैका और यूक्रेन कुछ अन्य ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू कर दिया है और कई अन्य देश भी जल्द ही इसके लिये आगे बढ़ सकते हैं।

- हाल ही में बजट 2022-23 में भारत सरकार ने घोषणा की है कि RBI द्वारा वर्ष 2022-23 के आरंभ में एक डिजिटल मुद्रा जारी किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य जोखिम का शमन और वास्तविक मुद्रा के प्रबंधन, गंदे नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, परिवहन, बीमा एवं रसद से जुड़े लागत को कम करना है।
- यह धन हस्तांतरण के साधन के रूप क्रिप्टोकरेंसी से लोगों को दूर भी रखेगा।

CBDC के लाभ

- परंपरा और नवोन्मेष का संयोजन: CBDC मुद्रा प्रबंधन लागत को कम करके धीरे-धीरे आभासी मुद्रा की ओर एक सांस्कृतिक बदलाव ला सकता है।
  - CBDC की परिकल्पना दोनों पक्षों के सर्वश्रेष्ठ को साथ लाने के लिये की गई है जहाँ क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल रूपों की सुविधा एवं सुरक्षा और पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का विनियमित, आरक्षित-समर्थित धन परिसंचरण शामिल है।
- सीमा-पार आसानी से भुगतान: CBDC एक विश्वसनीय संप्रभु समर्थित घरेलू भुगतान और निपटान प्रणाली को आंशिक रूप से कागजी मुद्रा को प्रतिस्थापित करने के लिये एक आसान साधन प्रदान कर सकता है।
  - इसका उपयोग सीमा-पार भुगतान (Cross-Border Payments) के लिये भी किया जा सकता है; यह सीमा-पार भुगतानों के निपटान के लिये कोरेस्पोंडेंट बैंकों के महंगे नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।
- वित्तीय समावेशन: बेहतर कर एवं नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाने के लिये कई अन्य वित्तीय गतिविधियों के संबंध में भी CBDC के बढ़ते उपयोग की तलाश की जा सकती है।
  - यह वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।
- आतंक के वित्तपोषण या मनी लॉन्ड्रिंग हेतु मुद्रा के उपयोग को रोकने के लिये 'अपने ग्राहक को जानिये' (KYC) मानदंडों के सख्त अनुपालन को लागू करने की आवश्यकता है।

CBDC से जुड़े जोखिम

- गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: चूँकि केंद्रीय बैंक को उपयोगकर्त्ता लेनदेन के संबंध में भारी मात्रा में डेटा को संभालने की आवश्यकता होगी, पहली आवश्यकता उपयोगकर्त्ता की निजता के लिये बढ़ते जोखिम के प्रबंधन की होगी। इसके गंभीर निहितार्थ हैं क्योंकि डिजिटल मुद्राएँ उपयोगकर्त्ताओं को उस स्तर की गोपनीयता और नाम-गुप्तता प्रदान नहीं करेंगी जैसा नकदी लेनदेन के मामले में प्राप्त होती है।
  - साख से समझौता एक अन्य प्रमुख समस्या है।
- बैंकों की गैर-मध्यस्थता: यदि CBDC की ओर संक्रमण पर्याप्त रूप से वृहत और व्यापक होगा, तो यह क्रेडिट मध्यस्थता (Credit Intermediation) में धन के पुनर्निवेश की बैंकों की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
  - यदि ई-कैश (e-cash) लोकप्रिय हो जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक मोबाइल वॉलेट में जमा की जा सकने वाली राशि पर कोई सीमा आरोपित नहीं करता है तो कमज़ोर बैंक निम्न-लागत जमा राशि को बनाए रखने हेतु संघर्ष कर सकते हैं।
- इससे संबद्ध अन्य जोखिम हैं:
  - प्रौद्योगिकी का तीव्र अप्रचलन CBDC पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा पैदा कर सकता है और उन्नयन/अपग्रेडेशन की उच्च लागत की मांग कर सकता है ।
  - मध्यस्थों के परिचालनात्मक जोखिम के रूप में कर्मचारियों को CBDC वातावरण में काम कर सकने के लिये फिर से प्रशिक्षित और तैयार करना होगा।
  - उन्नत साइबर सुरक्षा जोखिम, भेद्यता परीक्षण और फायरवॉल सुरक्षा पर आने वाली लागत।
  - CBDC के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक के लिये परिचालन बोझ और लागत।

नोट :

CBDC के जोखिमों को कैसे दूर करें?

- CBDC की कुछ कमज़ोरियों को दूर करने के लिये इसका उपयोग भुगतान-केंद्रित बनाया जाना चाहिये ताकि भुगतान एवं निपटान प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। इससे यह मध्यस्थता जोखिम और इसके प्रमुख मौद्रिक नीति प्रभावों से बचने के लिये मूल्य भंडार के रूप में सेवा देने से मुक्त रह सकता है।
- एक केंद्रीकृत प्रणाली में केंद्रीय बैंक के पास संग्रहीत डेटा के साथ गंभीर सुरक्षा जोखिम जुड़े होंगे और डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिये मज़बूत डेटा सुरक्षा प्रणालियाँ स्थापित करनी होंगी। इस प्रकार, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का नियोजन महत्त्वपूर्ण है जो CBDC को सहयोग करे।
- CBDC के लिये आवश्यक अवसंरचना का आकार दुरूह बना रहेगा यदि भुगतान लेनदेन उसी प्रणाली के उपयोग से संपन्न किया जाए। RBI को प्रौद्योगिकी परिदृश्य को अच्छी तरह से आकलित करना होगा और CBDC लॉन्च करने के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चयन के साथ सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा।
- डिजिटल मुद्रा लेनदेन के संबंध में एकत्रित वित्तीय डेटा अपनी प्रकृति में संवेदनशील होगा और सरकार को नियामक दृष्टिकोण से सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। इसके लिये बैंकिंग और डेटा सुरक्षा नियामकों के बीच घनिष्ठ अंत:क्रिया/संपर्क की आवश्यकता होगी।
  - इसके अलावा, संस्थागत तंत्र को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि विभिन्न नियामकों के बीच कोई 'ओवरलैप' न हो और डिजिटल मुद्राओं के डेटा उल्लंघन के मामले में स्पष्ट कार्रवाई का चार्ट तैयार करना होगा।

भारत की प्रति-व्यापार व्यवस्था

संदर्भ

रूस पर प्रतिबंधों (जिसने भारत के लिये रूस के साथ व्यापार में डॉलर में प्राप्तियों और भुगतान दोनों को बाधित किया है) से बने व्यापक दबाव को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) रूस के केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर एक ऐसे फ्रेमवर्क के निर्माण पर कार्य कर रहा है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिये रुपए के संभावित अधिकाधिक उपयोग के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं बैंकिंग परिचालन को सुचारू किया जा सके।

- भारत ने अतीत में भी रूस, नेपाल, ईरान, बांग्लादेश और कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों सहित कई देशों के साथ अपने व्यापार के लिये रुपए में भुगतान किया है या भुगतान प्राप्त किया है।
- अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के समक्ष मौजूदा व्यापार एवं वित्तीय निपटान तंत्र की कमज़ोरियों और विदेशी मुद्रा संकट या भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे देशों के साथ व्यापार करने में कठिनाइयों को देखते हुए ऐसे देशों के साथ लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिये एक वैकल्पिक ढाँचे की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। प्रति-व्यापार या 'काउंटरट्रेडिंग' (Countertrading) इसका एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

काउंटरट्रेडिंग क्या है?

- काउंटरट्रेड मूल रूप से एक वस्तु विनिमय (barter) या अर्द्ध वस्तु विनिमय (quasi-barter) व्यवस्था है जो स्पष्ट रूप से आयात और निर्यात लेनदेन को संयुक्त करती है। यह मुद्रा या सीमा-पार भुगतान चुनौतियों का सामना कर रहे देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का एक महत्त्वपूर्ण तरीका बनकर उभरा है।
- काउंटरट्रेड एक अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को संरचित करने का एक वैकल्पिक साधन है जब भुगतान के पारंपरिक साधन जटिल होते हैं या मौजूद नहीं होते हैं। काउंटरट्रेड का सबसे आम रूप वस्तु विनिमय है।

काउंटरट्रेड का महत्त्व

- काउंटरट्रेड निम्नलिखित विषयों से एक प्रभावशील तरीका प्रस्तुत करता है:
  - प्रतिबंधों, मुद्रा नियंत्रणों, गैर-टैरिफ बाधाओं जैसी सुरक्षात्मक व्यापार नीतियों से उत्पन्न जोखिमों को कम करना
  - विदेशी मुद्रा के बाह्य प्रेषण से जुड़ी चुनौतियों से निपटना, जहाँ भुगतान के पारंपरिक साधन मौजूद नहीं हैं या कई कारणों से जटिल हैं
  - सामरिक खनिज संसाधनों (जहाँ भारत उल्लेखनीय आयात निर्भरता रखता है) की आपूर्ति सुनिश्चित करने में निहित चुनौतियों से निपटना

नोट :

काउंटरट्रेड के मामले में भारत की स्थिति

- इराक के साथ वस्तु विनिमय व्यापार समझौता: भारत ने अतीत में कई प्रकार की काउंटरट्रेड व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसमें 'ऑइल फॉर फूड' कार्यक्रम के तहत इराक के साथ एक वस्तु विनिमय व्यापार समझौता शामिल है। इस व्यवस्था के तहत इराक भारत से चावल और गेंहूँ की प्राप्ति के बदले एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मात्रा में तेल की दैनिक आपूर्ति करता है।
- मलेशिया के साथ 'काउंटर-परचेज' समझौता: भारत ने मलेशिया के साथ एक काउंटर-परचेज समझौता (Counter Purchase Agreement) संपन्न किया था, जिसके तहत मलेशिया में IRCON (Indian Railway Construction) इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा एक रेल निर्माण परियोजना शुरू की गई थी और मलेशिया सरकार ने भारत को समतुल्य मूल्य के पाम ऑइल की आपूर्ति के साथ IRCON को भुगतान किया था।
- सोवियत संघ के साथ 'बाय-बैक' व्यवस्था: काउंटरट्रेड की ऐसी ही एक व्यवस्था पूर्ववर्ती सोवियत संघ के साथ 'बाय-बैक' व्यवस्था (Buyback Arrangement) के रूप में कायम की गई थी, जहाँ भारत के राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड (National Textiles Corporation Ltd.- NTC) ने सोवियत संघ से 200 परिष्कृत करघे खरीदे थे और बदले में सोवियत संघ को बायबैक प्रतिबद्धता के तहत उत्पादित कपड़ा का 75% खरीदना था।
- ईरान के साथ समाशोधन व्यवस्था: भारत ने ईरान के साथ एक समाशोधन व्यवस्था का निर्माण किया था जिसके तहत वर्ष 2012 में भारत और ईरान के बीच एक रुपया भुगतान तंत्र स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत भारत द्वारा आयात के लिये भुगतान से संचित रुपये का उपयोग ईरान को उत्पादों, परियोजनाओं और सेवाओं के निर्यात के भुगतान के लिये किया गया था।
- वियतनाम के साथ ऋण के बदले माल व्यवस्था: भारत ने वियतनाम के साथ ऋण के बदले माल मॉडल (Debt-for-Goods Arrangement) का निर्माण किया था, जहाँ इंडिया एक्ज़िम बैंक ने वियतनाम को वाणिज्यिक ऋण सुविधा प्रदान की थी और बदले में भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने वियतनाम से चावल का आयात किया और IDBI/इंडिया एक्ज़िम बैंक को इस आयात के लिये भुगतान किया।

ऋण के बदले माल मॉडल (Debt-for-Goods Arrangement) क्या है?

- 'ऋण के बदले माल' मॉडल एक काउंटरट्रेड लेनदेन है जहाँ कोई देश विकास परियोजना के लिये ऋण प्राप्त करता है और ऋणदाता देश को ऋण का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान माल या सेवाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से किया जाता है।
- ऋणदाता देश के लिये ऐसा मॉडल विकास वित्तपोषण से संबद्ध उच्च मूल्य-वर्द्धित वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात के लिये अवसर प्रदान कर सकता है, जबकि उधारकर्त्ता देश से आयात के माध्यम से महत्त्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति को सुरक्षित करने में भी मदद कर सकता है।
- उधारकर्त्ता देश के लिये ऐसा मॉडल दुर्लभ विदेशी मुद्रा संसाधनों की कमी के बिना उल्लेखनीय अवसंरचना विकास के वित्तपोषण में मदद करता है।

काउंटरट्रेड नीति

- वर्षों से विभिन्न काउंटरट्रेड लेनदेन के बावजूद भारत में काउंटरट्रेड के लिये कोई निश्चित नीति मौजूद नहीं है।
- फिलीपींस, इंडोनेशिया और चीन जैसे कई देशों में व्यापक काउंटरट्रेड नीतियाँ मौजूद हैं, जिन्होंने बढ़ती अनिश्चितताओं के परिदृश्य में भी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के आयात को सुरक्षित रखने में उनकी मदद की है।
- चीन महत्त्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति को सुरक्षित करने और मूल्य-वर्द्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिये काउंटरट्रेड के एक प्रकार 'ऋण के बदले माल' का विशेष रूप से उपयोग करता रहा है।

काउंटरट्रेड से संलग्न चुनौतियाँ

- काउंटरट्रेड के साथ संलग्न प्रमुख चुनौतियों में से एक यह है कि संभव है कि भागीदार देशों द्वारा काउंटरट्रेड के लिये चिह्नित किये गए मालों की भारत में पर्याप्त मांग नहीं हो।
- सौदे का मूल्य (जहाँ माल का आदान-प्रदान हो रहा हो) अनिश्चित हो सकता है, जिससे उल्लेखनीय मूल्य अस्थिरता की स्थिति बन सकती है।

नोट :

- किसी भी अपरंपरागत रणनीति की तरह काउंटरट्रेडिंग में भी अधिक समय लेने की प्रकृति होती है। अच्छे ट्रेड के लिये सौदेबाजी होगी, इस प्रकार सभी पक्षों के संतुष्ट होने तक वार्ता की लंबी प्रक्रिया की स्थिति बनेगी।
- इसमें ब्रोकरेज सहित उच्च लेनदेन लागतें भी आएँगी। खरीदार की तलाश, बिचौलियों को कमीशन एवं अन्य रूपों में लागतों में तेज़ी से वृद्धि हो सकती है।
- लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से यदि पण्य वस्तुएँ संलग्न हों।
- व्यापार किये जा रहे माल के मूल्य पर वृहत अनिश्चितता और माल की गुणवत्ता पर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

- एक काउंटरट्रेड नीति: बढ़ती हुई अनिश्चितता और व्यापार के लिये एक वैकल्पिक तंत्र की प्रकट आवश्यकता के आलोक में भारत के लिये 'ऋण के बदले माल' मॉडल के प्रावधानों के साथ काउंटरट्रेड के लिये एक रूपरेखा विकसित की जा सकती है।
  - इंडिया एक्ज़िम बैंक के हालिया अध्ययन में 30 देशों की पहचान की गई है, जहाँ ऋण के बदले माल मॉडल के तहत एक काउंटरट्रेड तंत्र विकसित करना विवेकपूर्ण होगा।
    - ये संसाधन संपन्न देश हैं जो विदेशी मुद्रा के बाह्य प्रेषण पर प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं अथवा ऋण संकट में हैं या ऋण संकट के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं।
  - इन देशों में शामिल हैं; नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, ईरान, कांगो गणराज्य, सूडान, यमन, जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, बेलारूस, फिजी, निकारागुआ, क्यूबा, सीरिया, लेबनान आदि।
- मुद्रा संबंधी मामलों को संबोधित करना: भारत के लिये काउंटरट्रेड नीति स्थानीय मुद्रा व्यापार (लेकिन यहीं तक सीमित नहीं) के लिये एक तंत्र सहित एक समग्र व्यवस्था हो सकती है।
  - इस नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्रा संबंधी जोखिमों को कम करने से लेकर ज़रूरतमंद विकासशील देशों को उनके दुर्लभ विदेशी मुद्रा भंडार को कम किये बिना विकास वित्त सहायता प्रदान करने और भारत के साथ व्यापार करने की क्षमता रखने वाले (लेकिन विदेशी मुद्रा चुनौतियों का सामना कर रहे) नए भौगोलिक क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने तक का एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल हो सकता है।
  - काउंटरट्रेड तंत्र भारत सरकार के विकासात्मक भागीदारी कार्यक्रमों में पुनर्भुगतान प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी विचार करने योग्य होगा (विशेष रूप से संसाधन प्रचुर देशों में)।
- 'स्विच ट्रेड' मॉडल: भारत की काउंटरट्रेड नीति में एक स्विच ट्रेड मॉडल (switch trade model) का भी प्रावधान होना चाहिये।
- स्विच ट्रेडिंग मॉडल के अंतर्गत किसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग हाउस को उत्पाद की कुल खरीद के लिये एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु संलग्न किया जा सकता है और लेनदेन के निर्यात चरण के निपटान के लिये सहवर्ती भुगतान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

डॉलर से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था ने व्यापार समझौतों को अमेरिका की कार्रवाई के लिये अतिसंवेदनशील बना दिया है। कुछ देशों के साथ व्यापार संबंधों को निलंबित करने के बढ़ते दबाव के बीच भी भारत ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिये एक मज़बूत रुख अपना रखा है। व्यापार समझौतों को पेश चुनौतियों से बचने के लिये एक व्यापक तंत्र के माध्यम से भारत को अपने रुख को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

'नेबरहुड फर्स्ट' एवं भारत

संदर्भ

'नेबरहुड फर्स्ट' (Neighbourhood First) भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख घटक रहा है। जब तक भारत उपमहाद्वीप में अपनी परिधि को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं करता, तब तक एशियाई भूभाग और विश्व में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकने की उसकी महत्त्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी।

नोट :

- पड़ोसी देशों में बार-बार उभरने वाले राजनीतिक अथवा आर्थिक संकट भारत को उपमहाद्वीप की ओर ही वापस खींचते रहते हैं और वृहत क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों से संबोधित होने के उसके अवसर को बाधित करते हैं। इसके अलावा, चीन जैसा विरोधी देश भी भारतीय उपमहाद्वीप में ही उलझे रहने की इच्छा रखता है।
- हाल के वैश्विक और साथ ही पड़ोसी देशों के भीतर आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के बीच भारत को अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को सक्रिय करने का एक नया अवसर प्राप्त हुआ है। भारत को तत्परता से इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये।

भारतीय उपमहाद्वीप

- भारतीय उपमहाद्वीप (Indian subcontinent) एक एकल भू-राजनीतिक इकाई है जिसके घटक अंगों के बीच सुदृढ़ आर्थिक अन्योन्याश्रितता या अनुपूरकता पाई जाती है।
- यह एक साझा सांस्कृतिक क्षेत्र है जहाँ एक सुदीर्घ एवं साझा इतिहास के कारण उपमहाद्वीप में स्थित देशों के लोगों के बीच गहरे और स्थायी संबंध पाए जाते हैं।
  - इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।
- हालाँकि, इस व्यापक एकता के बावजूद उपमहाद्वीप कई स्वतंत्र और संप्रभु देशों में विभाजित है, जहाँ प्रत्येक देश की अपनी चुनौतियाँ और अपनी आकांक्षाएँ हैं।

भारत इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण इकाई कैसे है?

- निकटस्थता एक महत्त्वपूर्ण आस्ति है जो सीमाओं के पार माल, सेवाओं और लोगों के निम्न-लागत और समयबद्ध प्रवाह को सक्षम बनाती है।
- आर्थिक और प्रौद्योगिकीय शक्ति (जो भारत को प्राप्त है) की विषमता संपूर्ण उप-क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने के लिये एक परिसंपत्ति है।
- भारत इस उपमहाद्वीप के लिये सबसे बड़ा पारगमन देश (Transit Country) है जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के साथ स्थल सीमाएँ और श्रीलंका एवं मालदीव के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है।
- भारत ने गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका और नेपाल की ओर मदद का हाथ भी बढ़ाया है।
  - श्रीलंका को दी गई 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा (Currency Swap Facility) का नवीनीकरण किया गया है।
  - नेपाल के प्रधानमंत्री की हालिया भारत यात्रा के दौरान कई आर्थिक सहायता कार्यक्रमों को पुनर्जीवित किया गया है और कुछ नए कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है।
- मालदीव और भूटान के साथ भी भारत के संबंध सकारात्मक हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये, बल्कि उन्हें निरंतर पोषित किये जाने की आवश्यकता है।

एक मैत्रीपूर्ण उपमहाद्वीप के निर्माण में संभावित बाधाएँ

- बाह्य प्रभाव: छोटे पड़ोसी देशों के लिये यह स्वाभाविक ही है कि वे एक अधिक शक्तिशाली भारत के वर्चस्व को लेकर सावधान रहें और भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिये बाह्य शक्तियों के साथ निकट संबंध विकसित करने की आकांक्षा रखें। अतीत में अमेरिका ऐसी ही एक बाह्य शक्ति रहा था और वर्तमान में चीन ने यह स्थिति प्राप्त कर ली है।
  - पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्र में और भारत के समुद्री पड़ोस में (हिंद महासागर में स्थित द्वीप देशों सहित) में चीन की कार्रवाइयों और नीतियों ने भारत के लिये आवश्यक बनाया है कि वह पड़ोसियों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर गहनता से विचार करे।
- विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय मुद्दे:
  - बांग्लादेश: अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और सांप्रदायिक दंगों में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में भारत में घरेलू राजनीतिक शोर की देश में नकारात्मक गूंज रही है और इसकी छाया हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ी है।
    - यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि घरेलू राजनीति की मजबूरियाँ भारत की विदेश नीति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।

नोट :

- पाकिस्तान: स्वतंत्रता और विभाजन के समय से ही भारत-पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक शत्रुता रही है और दोनों देशों के बीच चार युद्ध भी हुए हैं।
  - सीमा-पार आतंकवाद एक सर्वप्रमुख विषय है जो दोनों देशों के संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिये एक कील बना रहा है।
- नेपाल: भारत-नेपाल संबंधों में कालापानी सीमा विवाद ने एक तनाव उत्पन्न किया है।
  - वर्ष 2019 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा एवं लिपुलेख और बिहार के पश्चिम चंपारण ज़िले के सुस्ता पर अपना दावा जताया है।
- श्रीलंका: श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हिंसक कार्रवाई इन दोनों देशों के बीच एक पुराने विवाद का विषय रहा है।
  - वर्ष 2019-20 में श्रीलंकाई सेना द्वारा 284 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था और 53 भारतीय नौकाओं को जब्त कर लिया गया था।

- पाकिस्तान में हाल की राजनीतिक अस्थिरता, श्रीलंका में आर्थिक संकट, मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान और नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिये कुछ अन्य प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

भारत इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी कैसे बन सकता है?

- एक पुनर्विलोकित विदेश एवं सुरक्षा नीति: उपमहाद्वीप के सबसे बड़े और शक्तिशाली देश के रूप में भारत की सुरक्षा परिधि इसकी राष्ट्रीय सीमाओं से परे तक जाती है; इस परिदृश्य में एक मज़बूत भारतीय विदेश एवं सुरक्षा नीति को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत का पड़ोस शांतिपूर्ण, स्थिर एवं अनुकूल रहे और कोई भी शत्रुतापूर्ण उपस्थिति उपमहाद्वीप में कहीं भी पैठ बनाते हुए भारत की सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न न करे।
  - भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौती यह है कि पड़ोसी देशों में प्रभावी और स्थायी प्रेरण का सृजन करें कि वे भारत के सुरक्षा हितों के प्रति संवेदनशील बने रहें और भारत की अधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का उपयोग उनके लिये विकास का इंजन बनने के लिये कर सकें।
  - भारत को अपने पडोसी देशों के लिये इस भूभाग में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरना होगा।
- न्यूनतम हस्तक्षेप: बाह्य शक्तियों के साथ छोटे पड़ोसी देशों की बढ़ती संलग्नता के विषय में भारत को उनमें से प्रत्येक देश के लिये एक स्पष्ट 'रेडलाइन' खींचने से बचना चाहिये क्योंकि यह फिर उनकी ओर से संप्रभुता के अनादर के आरोप को आमंत्रित करेगा।
  - बेहतर तरीका यह होगा कि पड़ोसी देशों के आंतरिक राजनीतिक मामलों में कम हस्तक्षेप किया जाए और सूक्ष्मता से यह प्रकट कर दिया जाए कि भारत को उन देशों में शत्रु विदेशी शक्ति की भौतिक उपस्थिति इस रूप में मंज़ूर नहीं होगी उसकी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, विशेष रूप से जब किसी देश के साथ भारत खुली सीमाएँ रखता हो।
- राजनीतिक बदलाव का लाभ उठाना: भारत के पड़ोस में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं। पाकिस्तान में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है जो भारत-पाकिस्तान संबंधों को पुनर्जीवित करने की एक संभावना प्रदान करता है।
  - उद्देश्य अति-महत्त्वाकांक्षी नहीं हों; इनमें पूर्व के व्यापक संवाद प्रारूप के समान द्विपक्षीय वार्ता की पुनर्बहाली करना शामिल होगा।
  - क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना भारत के हित में है और सार्क (SAARC) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपलब्ध मंच हो सकता है।
  - बिम्सटेक (BIMSTEC) को सार्क के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि इसे अपनी विशिष्टताओं के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिये।

भारत अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग कैसे कर सकता है?

- 'क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी': अन्य देशों के साथ अपनी निकटता का उपयोग करने के लिये भारत को अवसंरचना और प्रक्रियाओं दोनों ही विषयों में कुशल सीमा-पार संपर्क/क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है ताकि माल और लोगों के सुचारू एवं निर्बाध पारगमन का अवसर मिल सके।

नोट :

- व्यापार के लिये अधिक खुलना: भारत की आर्थिक और प्रौद्योगिकीय शक्ति एक विशाल और विस्तारित बाज़ार में निहित है।
  - यदि पड़ोसी देशों के उत्पादन और बिक्री के लिये भारतीय बाज़ारों को पूरी तरह से खोल दिया जाए तो भी यह भारत के बाज़ार का एक छोटा भाग ही ग्रहण करेगा, लेकिन यह उनके लिये एक बड़ा सौदा होगा।
- परिवहन: अधिक विकसित स्थल और समुद्री परिवहन प्रणाली के साथ भारत को व्यापार एवं परिवहन के लिये 'पसंद के भागीदार' (partner of choice) के रूप में अपनी भूमिका विकसित करनी चाहिये।
  - यह पड़ोसी देशों के साथ मज़बूत अंतर-निर्भरता का भी सृजन करेगा; इस प्रकार उनके अंदर हमारी सुरक्षा चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता उत्पन्न होगी।

मिशन अंत्योदय: सामाजिक न्याय हेतु महत्त्वपूर्ण

संदर्भ

भारतीय संविधान स्थानीय सरकारों को 'आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय' के लिये' योजना निर्माण एवं प्रवर्तन का निर्देश देता है (अनुच्छेद 243G और 243W)।

- इस संबंध में कई पूरक संस्थाएँ बनाई गई हैं, जैसे लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिये ग्राम सभा, उर्ध्वगामी एवं स्थानिक विकास योजना तैयार करने के लिये जिला योजना समिति (District Planning committee- DPC) और ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज इक्विटी सुनिश्चित करने के लिये राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission-SFC)।
- इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 'मिशन अंत्योदय' इन वृहत लोकतांत्रिक सुधारों के उद्देश्यों को पुनर्जीवित करने का बड़ा आश्वासन देता है। पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) और ग्रामीण विकास मंत्रालय ((MoRD) इस अभियान को आगे बढ़ाने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।

मिशन अंत्योदय क्या है?

- मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक मिशन मोड परियोजना है। यह जीवन और आजीविका को रूपांतरित करने वाले मापदंडों पर मापन-योग्य प्रभावी परिणामों हेतु एक अभिसरण ढाँचा है।
- मिशन अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है जो गरीबी संबंधी विभिन्न अभावों को संबोधित करते हैं; और यहाँ ग्राम पंचायत को विकास योजना का मुख्य केंद्र बनाया गया है।
  - यह योजना प्रक्रिया एक वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा समर्थित है जो ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विकास अंतरालों के आकलन में मदद करती है। सर्वेक्षण के अंतर्गत भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों (स्वास्थ्य व पोषण, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, जल प्रबंधन आदि) के संबंध में डेटा एकत्र किया जाता है।

मिशन अंत्योदय की शुरुआत क्यों हुई?

- कैलोरी-आय माप पर आधारित पारंपरिक गरीबी रेखा (जिसका योजना आयोग द्वारा पूरे समर्पण से अनुसरण किया गया था) समय के साथ बेकार साबित हुई और एक उद्देश्यपूर्ण नीति उपकरण के रूप में कार्य करने में विफल रही।
- सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना, 2011 द्वारा सार्वजनिक डोमेन में लाये गए आँकड़े उपचारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट कर रहे थे। इसने उजागर किया कि:
  - 8.88 करोड़ परिवार आश्रयहीनता, भूमिहीनता, एकल महिला नेतृत्व वाले परिवार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार या परिवार में विकलांग सदस्य जैसे बहुआयामी अभावों के दृष्टिकोण से वंचित और गरीब हैं।
  - 90% ग्रामीण परिवारों में वेतनभोगी नौकरी का अभाव है।
  - 53.7 मिलियन परिवार भूमिहीन हैं।
  - 6.89 मिलियन महिला प्रधान परिवारों में सहयोग के लिये कोई वयस्क सदस्य मौजूद नहीं है।
  - 49% विविध अभावों से ग्रस्त हैं।

नोट :

- 51.4% अनियमित शारीरिक श्रम से जीविका कमाते हैं।
- 23.73 मिलियन के पास रहने के लिये घर नहीं है अथवा एक कमरे का घर है।

- विडंबना है कि यह उस देश की स्थिति है जहाँ केंद्र एवं राज्य के बजट और बैंक-क्रेडिट से जुड़े स्वयं सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के लिये हर साल 3 ट्रिलियन रुपए से अधिक का व्यय किया जाता है।

ग्रामीण उत्थान के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

ग्राम पंचायतों में अंतराल

- वर्ष 2019-20 में 'मिशन अंत्योदय' सर्वेक्षण (MA Survey) ने पहली बार 2.67 लाख ग्राम पंचायतों (6.48 लाख ग्राम और 1.03 मिलियन आबादी को समाहित करते हुए) के आँकड़े संग्रहीत किये जिससे विद्यमान अवसंरचनात्मक अंतरालों पर प्रकाश पड़ा।
- सर्वेक्षण में निर्दिष्ट अधिकतम स्कोर मान 100 रखा गया और उन्हें 10 के वर्ग अंतराल में प्रस्तुत किया गया था।
  - जबकि भारत में कोई भी राज्य 90 से 100 के शीर्ष स्कोर वर्ग में नहीं आया, 1484 ग्राम पंचायतें निम्नतम वर्ग ही प्राप्त कर सकीं।
  - यहाँ तक कि 80 से 90 के स्कोर रेंज में भी 10 राज्य और सभी केंद्रशासित प्रदेश नज़र नहीं आए।
- सभी 18 राज्यों के लिये रिपोर्ट करने वाले कुल ग्राम पंचायतों की संख्या केवल 260 ही रही जो देश के कुल 2,67,466 ग्राम पंचायतों के मात्र 0.10% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - केरल चार्ट में शीर्ष पर रहा (स्कोर रेंज 70-80 के साथ), लेकिन राज्य की कुल ग्राम पंचायतों के केवल 34.69% का ही प्रतिनिधित्व हुआ।
    - संबंधित अखिल भारतीय औसत मात्र 1.09% रहा जो बेहद कम है।
  - यहाँ तक कि केरल के बाद दूसरे स्थान पर रहे गुजरात के लिये भी इस वर्ग में ग्राम पंचायतों की संख्या केवल 11.28% हैं।

मिशन अंत्योदय के समग्र सूचकांक में ग्राम पंचायतों का खराब प्रदर्शन

- हालाँकि देश में केवल 15 ग्राम पंचायतें (कुल रिपोर्ट की गई पंचायतों में से) 10 अंकों से नीचे की सीमा में आईं, भारत में ग्राम पंचायतों के 1/5 से अधिक 40 की सीमा से नीचे रहीं।
  - अन्य राज्यों की तुलना में केवल केरल की ग्राम पंचायतें ही इससे ऊपर स्कोर पा सकीं।
  - अंतराल रिपोर्ट और संयुक्त सूचकांक अचूक रूप से दर्शाते हैं कि विकेंद्रीकरण सुधारों के 30 वर्ष और स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष बाद भी 'आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय' का निर्माण एक दूर का लक्ष्य ही बना हुआ है।

GPDPs और MA सर्वेक्षणों के बीच का 'मिसिंग लिंक'

- तैयार किये गए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (Gram Panchayat Development Plans- GPDPs) और मिशन अंत्योदय (MA) सर्वेक्षण के निष्कर्षों से उभरने वाले अंतराल के बीच मिसिंग लिंक या कनेक्शन ने व्यापक GPDP तैयार करने की प्रक्रिया मं1 बाधा उत्पन्न की है।
  - MoPR के दिशानिर्देशों के अनुसार, GPDP तैयार करने के लिये MA सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष और अंतराल रिपोर्ट आकलन को आधार रेखा रखा जाना है; लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
- प्रत्येक पंचायत के लिये अनिवार्य रूप से GPDP में की गई गतिविधियों को MA सर्वेक्षण में पहचाने गए अंतराल के साथ जोड़ना आवश्यक है, लेकिन अधिकांश GPDPs में MA सर्वेक्षण में चिह्नित किये गए अंतरालों को संबोधित नहीं किया जाता है।
  - यहाँ तक कि जिन ग्राम पंचायतों में MA सर्वेक्षण संपन्न हुआ, उन्होंने भी अंतिम GPDP जीपीडीपी में अंतराल रिपोर्ट को शामिल नहीं किया है।

आगे की राह

- संसाधनों का एकीकरण: बढ़ती ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करने की प्रबल गुंजाइश मौजूद है। पंचायती राज मंत्रालय के 'संतृप्ति दृष्टिकोण' (चुनिंदा मदों पर 100% लक्ष्य) को देखते हुए, सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता, पेयजल आपूर्ति और इस तरह के की अन्य आदर्शों को साकार करने की अपार संभावनाएँ हैं।

नोट :

- आवश्यकता यह कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि संसाधनों के अभिसरण के लिये गंभीर प्रयास किये जाएँ।

- ग्राम सभा और नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका: ग्राम सभा जमीनी स्तर के शासन में लोगों की भागीदारी के लिये एक मंच है। यह ग्रामीण लोगों को अपने गाँव के विकास कार्यक्रमों से संलग्न होने और प्रशासन को पारदर्शी बनाने हेतु अवसर प्रदान करता है।
  - यह निर्वाचित पदाधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की ज़िम्मेदारी है कि वे देखें कि ग्राम सभा नियमों और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है।
  - गांधीजी ने एक बार कहा था- ''पंचायतों की शक्ति जितनी वृहत होगी, लोगों के लिये उतना ही बेहतर होगा।''
  - संलग्न किये गए सूत्रधारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं जैसे कमज़ोर वर्गों सहित सामुदायिक लामबंदी सुनिश्चित करना होगा।
  - सभा के समक्ष एक गरीबी उन्मूलन योजना प्रस्तुत करने के लिये ग्राम संगठनों/स्वयं सहायता समूहों का समर्थन किया जा सकता है, जिसे विचार-विमर्श के बाद GPDP में शामिल किया जा सकता है।

- राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता: भारत के राजकोषीय संघवाद के लिये डेटा का इस्तेमाल कर सकने की विफलता—विशेष रूप से उप-राज्य स्तर पर भारत में सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में हस्तांतरण प्रणाली और क्षैतिज इक्विटी में सुधार लाने के लिये, इसकी प्रमुख असफलताओं में से एक है।

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के योजना निर्माण एवं प्रवर्तन का संवैधानिक लक्ष्य केवल मज़बूत नीतिगत हस्तक्षेपों और जमीनी स्तर पर वित्त की पर्याप्त आपूर्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।
  - भारत का नीति संबंधी इतिहास बड़ी परियोजनाओं की घोषणा करने, लेकिन उन्हें उनके तार्किक परिणाम तक ले जाने में विफल रहने की घटना का साक्षी रहा है।
    - हालाँकि इतिहास को दुहराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे सबक लेने और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

सुरक्षित कार्यस्थल

संदर्भ

पिछले दो वर्षों में कोविड-19 के कारण छह मिलियन से अधिक मौतों के साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रत्येक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के प्रमुख विषय रहे हैं।

- चूँकि विभिन्न उद्योगों में दुर्घटनाओं, आघात और बीमारियों की स्थिति बनती रहती है (जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों एवं उनके परिवारों की सेहत को प्रभावित करते हैं), किसी भी कार्यस्थल पर निवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति सुनिश्चित करना बेहद महत्त्वपूर्ण है।
- महामारी से आहत कार्य विश्व को अधिक मानव-केंद्रित और प्रत्यास्थी तरीके से आगे ले जाने के लिये व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health- OSH) तंत्र को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे कार्यस्थल स्थापित हो सकें जो कामगारों के लिये खतरनाक नहीं हों।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) की स्थिति

- वैश्विक स्तर पर अनुमानत: 2.9 मिलियन मौतों और 402 मिलियन गैर-घातक आघातों के लिये व्यावसायिक दुर्घटनाएँ एवं बीमारियाँ ज़िम्मेदार हैं।
  - व्यावसायिक दुर्घटनाएँ एवं बीमारियाँ प्रतिवर्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 5.4% की लागत रखती हैं।
  - वे कार्यस्थल पर अधिकाधिक उपस्थिति (Presenteism) - जहाँ वे कम प्रभावशीलता से कार्यरत होते हैं, स्थायी नि:शक्तता से संबद्ध उत्पादकता हानि और स्टाफ-टर्नओवर लागत (अर्थात कुशल कर्मचारियों की हानि) के रूप में असर दिखाते हैं।

नोट :

भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) की स्थिति

- उपलब्ध सरकारी आँकड़े विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में व्यावसायिक चोटों में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
  - हालाँकि उल्लेखनीय है कि श्रम ब्यूरो के आँकड़ों के विश्लेषण में अपंजीकृत कारखानों और खानों को कवर नहीं किया जाता है।
- वर्ष 2011-16 के दौरान भारत में सरकार को रिपोर्ट किये गए व्यावसायिक रोगों के मामलों की संख्या केवल 562 थी।
  - इसके विपरीत, नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया, 2016 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक लेख सिलिकोसिस (silicosis) और बायसिनोसिस (byssinosis) जैसे व्यावसायिक रोगों के प्रसार की पुष्टि करता है।
    - बायसिनोसिस फेफड़ों की एक बीमारी है जो काम के दौरान कपास के फाहों या सन, पटसन या सीसल जैसे अन्य वनस्पति फाइबर के सूक्ष्म कणों के साँस द्वारा अंदर जाने से उत्पन्न होती है।
- हालाँकि भारत में OSH कवरेज़ बढ़ाने हेतु कुछ अच्छे अभ्यास भी अपनाए गए हैं।
  - उत्तर प्रदेश सरकार ने नियोक्ताओं और कामगारों के सहयोग से धातु और परिधान गृह-आधारित कामगारों के लिये सहभागी OSH प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की हैं।
    - इनमें से अधिकांश कामगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संबद्ध हैं और अन्य व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलों की पहुँच से बाहर हैं।
  - केरल सरकार ने ILO की सहभागी OSH प्रशिक्षण पद्धतियों को लागू किया है और OSH सुधारों के लिये छोटे निर्माण स्थलों तक पहुँच बनाई है।
  - राजस्थान सरकार ने पत्थर प्रसंस्करण इकाइयों में फेफड़ा रोगों से बचाव के लिये कामगारों और नियोक्ताओं के बीच OSH जागरूकता का प्रसार किया है।

OSH को बढ़ावा देने के लिये की गई प्रमुख पहलें

- वर्ष 2003 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 28 अप्रैल की तिथि को 'कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिये विश्व दिवस' घोषित कर रखा है ताकि त्रिपक्षीयता और सामाजिक संवाद की हमारी शक्ति का लाभ उठाकर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम पर बल दिया जा सके।
  - वर्ष 2022 के लिये इस दिवस का थीम है: "सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति के निर्माण के लिये मिलकर कार्य करना" (Act together to build a positive safety and health culture)।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों— श्रम निरीक्षण अभिसमय (Labour Inspection Convention), 1947 और श्रम सांख्यिकी अभिसमय (Labour Statistics Convention) 1985 की पुष्टि कर रखी है।
- भारत सरकार ने फ़रवरी 2009 में 'कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति' (National Policy on Safety, Health and Environment at Workplace) की घोषणा की और वर्ष 2018 में उपलब्ध OSH जानकारी को राष्ट्रीय OSH प्रोफ़ाइल के रूप में संकलित किया।
- रणनीतिक राष्ट्रीय OSH कार्यक्रम (National OSH Programme) शुरू किया जाना एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम है।
- 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020' (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) नियोक्ताओं और कर्मचारियों के कर्तव्यों का वर्णन करती है और विभिन्न क्षेत्रों के लिये सुरक्षा मानकों की परिकल्पना करती है, जहाँ कामगारों के स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति, काम के घंटे, छुट्टी आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - यह संहिता संविदा कर्मियों के अधिकारों को भी मान्यता देती है।
  - संहिता नियत अवधि के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा और मज़दूरी जैसे सांविधिक लाभ प्रदान करती है।

सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने से संबद्ध समस्याएँ

- रिपोर्टिंग प्रणाली का पूर्ण उपयोग नहीं: पीड़ितों के उपचार और सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थलों के निर्माण हेतु प्रभावी रोकथाम नीतियाँ बनाने के लिये एक विश्वसनीय व्यावसायिक दुर्घटना एवं रोग रिपोर्टिंग प्रणाली का होना महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

- जबकि भारत में ऐसा तंत्र मौजूद है, इसका कम उपयोग किया जाता है, जहाँ चोटों, दुर्घटनाओं और बीमारियों के कई मामले दर्ज ही नहीं किये जाते।
- स्वाभाविक रूप से घातक चोटों की तुलना में गैर-घातक चोटों के मामले में अंडर-रिपोर्टिंग की अधिक संभावना बनी रहती है।
  - लघु स्तर के उद्योगों में औद्योगिक चोटों की बड़े पैमाने पर कम रिपोर्टिंग की स्थिति पाई जाती है।

- व्यावसायिक रोगों के बारे में जागरूकता की कमी: विभिन्न व्यावसायिक रोगों और कार्यस्थल के खतरों एवं जोखिमों के संबंध में प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी है।
  - कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण चिकित्सकों द्वारा गलत निदान की स्थिति भी बनती रहती है।
- दायरे के अंतर्गत उद्योगों की सीमित संख्या: श्रम ब्यूरो केवल कुछ क्षेत्रों (कारखाना, खदान, रेलवे, डॉक और बंदरगाह) से संबंधित औद्योगिक आघातों पर ही डेटा का संकलन एवं प्रकाशन करता है।
  - निकाय ने अभी तक वृक्षारोपण, निर्माण, सेवा क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों को शामिल कर चोटों के आँकड़ों के दायरे का विस्तार नहीं किया है।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिये क्या किया जा सकता है?

- OSH - समिति, अनुपालन और डेटा का संग्रह: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन OSH सुरक्षा का विस्तार करेगा, विशेष रूप से अनौपचारिक कामगारों के लिये जो भारत के कार्यबल के लगभग 90% भाग का निर्माण करते हैं।
  - संहिता को सक्रिय कार्यस्थल OSH समितियों को भी प्रोत्साहन देना चाहिये और खतरों की पहचान करने और OSH में सुधार लाने के लिये कामगारों को संलग्न करना चाहिये। OSH जोखिमों की पहचान और समाधानों के क्रियान्वयन में कामगार ही अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता होते हैं।
  - यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत प्रभावी हस्तक्षेप की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिये कुशल OSH डेटा संग्रहण प्रणाली स्थापित करे।
- जन जागरूकता: कार्य संबंधी दुर्घटनाओं एवं बीमारियों को रोकने और खतरनाक कार्यस्थल माहौल में सुधार के लिये जन जागरूकता को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - भारत को कामगारों और नियोक्ताओं के लिये मज़बूत राष्ट्रीय अभियानों और जागरूकता का प्रसार करने वाली गतिविधियाँ का संचालन करना चाहिये।
  - युवा लोग विशेष रूप से OSH जोखिमों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन्हें OSH समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
- सरकारों की भूमिका: राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को सभी संबंधित मंत्रालयों को संलग्न करते हुए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय एजेंडा में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए।
  - इसके लिये OSH, खतरों एवं जोखिमों के ज्ञान और उनके नियंत्रण एवं रोकथाम संबंधी उपायों के बारे में सामान्य जागरूकता के प्रसार के लिये पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है।
  - राज्य स्तर पर श्रमिक संगठनों और नियोक्ता संगठनों को द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से कार्यस्थल की चोटों और बीमारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपनी आपूर्ति शृंखला के हर स्तर पर सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण को शामिल करना चाहिये।
- सामाजिक संवाद: अनुपालन में सुधार के लिये सामाजिक संवाद आवश्यक है और यह स्वामित्व के निर्माण एवं प्रतिबद्धता को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो फिर OSH नीतियों के शीघ्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है।
  - व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को उचित रूप से संबोधित कर सकने के लिये (इसकी रोकथाम के लिये पर्याप्त निवेश के माध्यम से) एक सुदृढ़ सामाजिक संवाद तंत्र एक सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यबल के निर्माण में योगदान देगा और उन उत्पादक उद्यमों का समर्थन करेगा जो संवहनीय अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं।

नोट :

दृष्टि मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

- ''यद्यपि यूक्रेन मामले में रूस की निंदा को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद रहे हैं, यह विवेकपूर्ण होगा कि 'इंडो-पैसिफिक' और चीन से मुकाबले के वृहत रणनीतिक तस्वीर से ध्यान नहीं हटाया जाए।'' चर्चा कीजिये।
- किसी भी अन्य देश की तरह भारत भी व्यावहारिक यथार्थवाद और अपने मूल राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपनी नीतियाँ अपनाने का अधिकार रखता है। हाल के रूस-यूक्रेन युद्ध के आलोक में इस कथन की चर्चा कीजिये।
- भारत पर स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के वित्तीय प्रभाव की चर्चा कीजिये और आर्थिक दृष्टिकोण से सुचारू संक्रमण के लिये उपायों के सुझाव दीजिये।
- ग्रामीण भारत में जलवायु-स्मार्ट कृषि अभ्यासों के कार्यान्वयन हेतु कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये ठोस प्रयास किये जाने चाहिये ताकि राष्ट्र की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चर्चा कीजिये।
- ''नई भू-राजनीतिक वास्तविकताएँ यूनाइटेड किंगडम और भारत से एक नई रणनीतिक दृष्टि की मांग रखती हैं। यह अवसर का लाभ उठाने और एक ऐसी साझेदारी की नींव रखने का उपयुक्त समय है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सक्षमता से मुकाबला कर सके।'' टिप्पणी कीजिये।
- भारत में सरकारी स्कूलों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
- ''भविष्य के कार्यबल के रूप में भारत के युवाओं की स्किलिंग, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण की सफलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।'' चर्चा कीजिये।
- "जलवायु संकट के कारण भूमि, जल और वनों पर प्रत्यक्षत: निर्भर गरीब और कमज़ोर समुदायों को जीवन एवं आजीविका में अपरिवर्तनीय बदलावों का सामना करना पड़ेगा। कृषि-वानिकी उन्हें इस चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है।'' चर्चा कीजिये।
- ''समस्त चुनौतियों के बावजूद विवेकपूर्ण होगा कि CBDC के विचार को सिरे से छोड़ नहीं दिया जाए। इसके बजाय विभिन्न जोखिमों को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है ताकि CBDC को इस तरह से पेश किया जा सके जो पूरी प्रणाली के लिये लाभप्रद हो।'' चर्चा कीजिये।
- ''काउंटरट्रेडिंग ऐसे देशों के साथ लेनदेन की सुविधा के लिये एक वैकल्पिक ढाँचा हो सकता है जो राजकोषीय संकट के शिकार हैं या अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा झेल रहे हैं।'' चर्चा कीजिये।
- ''पड़ोस के साथ भारत के संबंध सभ्यतागत हैं, जो अद्वितीय हैं और इन्हें स्थानापन्न नहीं किया जा सकता। धैर्य और दृढ़ता के साथ यह सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक निकटस्थता का लाभ उठा सकता है।'' टिप्पणी कीजिये।
- ''मिशन अंत्योदय ग्रामीण उत्थान के लिये एक आशाजनक पहल है बशर्ते इसे मज़बूत नीति हस्तक्षेप, संसाधनों के पर्याप्त आवंटन और सख्त कार्यान्वयन के संदर्भ में गति प्रदान की जाए।'' चर्चा कीजिये।
- उन उपायों की चर्चा कीजिये जो एक ऐसी कार्य संस्कृति स्थापित करने के लिये किये जा सकते हैं जो अधिक मानव-केंद्रित होंगे और सभी कामगारों के लिये निवारक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

नोट :